राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4]   तेरहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का सोलहवां दिवस   [संख्या : 6

मंगलवार;

09 मार्च, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान, वर्ष 2010-2011 का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान, वर्ष 2010-2011 श्री अशोक गहलोत।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2009-10 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं।

2. मुझे अपनी सरकार का दूसरा बजट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं के गत महीनों में सम्पन्न हुए चुनावों के परिणाम पुन: दर्शाते हैं कि राज्य की जनता हमारी नीतियों एवं कार्य पद्धति से संतुष्ट है। इन परिणामों के बाद हमारी नैतिक जिम्मेदारी और बढ़ गई है। इस अवसर पर मैं राज्य की जनता का आभार प्रकट करता हूं और सब को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमसे जो अपेक्षाएं और आकांक्षाएं की गई हैं उन पर पूरा उतरने की हम पूरी चेष्टा करेंगे।

3. गत महीने केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने वर्ष 2010-11 का बजट प्रस्तुत करते हुए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर पुन: 9 प्रतिशत लाने, विकास को अधिक समावेशी बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर बल देने, खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने, शिक्षा के अवसर बढ़ाने, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने एवं प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर सरकारी प्रणालियों और संस्थाओं को अधिक सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है। हम आशा करते हैं कि केन्द्र सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं का हमें भरपूर लाभ मिलेगा।

4. सरकार एवं स्वायत्तशासी निकायों द्वारा प्रदत्त की जा रही जन

(श्री अशोक गहलोत)

सेवाओं के स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से आज के समय में आई.टी. का अधिकाधिक उपयोग नितान्त आवश्यक है। इसलिये प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु कार्य योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं :

(i) जनता से जुड़े हुए राजकीय विभागों एवं निकायों में शिकायतों, अभाव अभियोगों के पंजीकरण एवं निराकरण हेतु कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम लागू किया जाना।

(ii) एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, वंचितों एवं महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विशेष प्रयास करना।

(iii) प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार को और प्रभावी ढंग से लागू करवाना तथा विभागीय वेबसाइटों एवं अन्य माध्यमों से सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों को सार्वजनिक करना।

(iv) सभी प्रकार के राजकीय भुगतान नगद में नहीं किया जाकर, बैंक अथवा डाकघरों के खातों के माध्यम से किया जाना।

(v) डिलेवरी आफ सर्विसेज में नवाचार के लिये 5 करोड़ रुपये का कोष गठित करना।

(vi) राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानान्तरण हेतु एक स्पष्ट नीति बनाना।

(vii) महत्वपूर्ण पत्रावलियों एवं विचाराधीन पत्रों के निस्तारण हेतु समय सीमा निर्धारित करना एवं इस सीमा की पालना सुनिश्चित करना।

(viii) जन अभाव अभियोग निराकरण आयोग का गठन करना ताकि लोक सेवकों से सम्बन्धित शिकायतों पर निश्चित समयावधि में कार्यवाही हो सके।

(ix) सतर्कता व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाना, एवं

(x) विभिन्न विभागों में समन्वय के माध्यम से डाटा बेस तैयार करना एवं योजनाओं की क्रियान्विति एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना।

5. यह संतोष का विषय है कि हमारे देशवासियों पर वैश्विक आर्थिक मंदी से पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के लिये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये गये स्टिमूलस पैकेजों की वजह से मंदी का प्रभाव धीरे-धीरे कम होता जा रहा है तथा हमारे देश की विकास दर पुन: बढ़

(श्री अशोक गहलोत)

रही है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में भी सुधार दृष्टिगोचर होने लगा है। चालू वर्ष के प्रथम 6 महीनों में जहां हमारे स्वयं के कर राजस्व में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वृद्धि दर 2.6 प्रतिशत थी, जो बाद में 4 महीनों में बढ़कर के 20.5 प्रतिशत हो गई है। इस पृष्ठभूमि में हम आशा करते हैं कि आगामी समय आर्थिक एवं वित्तीय दृष्टि से हमारे प्रदेश के लिये अनुकूल होगा।

6. यह हमारे लिये संतोष का विषय रहा है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के वित्तीय भार को वहन करने के बावजूद भी वर्ष 2009-10 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 18,561 करोड़ रुपये का योजना व्यय सम्भावित है जबकि योजना आयोग द्वारा 17,322 करोड़ रुपये की योजना अनुमोदित की गई थी।

7. माननीय सदन को जानकर प्रसन्नता होगी कि राज्य के रिसोर्सेज का आकलन करते हुए वर्ष 2010-11 के बजट अनुमानों में योजना का आकार बढ़ाकर के 23,822 करोड़ रुपये करना प्रस्तावित किया गया है, जो योजना आयोग द्वारा वर्ष 2009-10 के अनुमानित आकार से 37 प्रतिशत अधिक होगा। राज्य के वर्ष 2010-11 की वार्षिक योजना से सम्बन्धित योजना आयोग से आगामी माह चर्चा होगी।

8. अब मैं आगामी वर्ष हेतु प्रस्तावित कार्य योजनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा :

सार्वजनिक निर्माण

9. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने महत्वपूर्ण सड़कों के विकास के लिये दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखते हुए एक वृहत् योजना बी.ओ.टी., पी.पी.पी., टोल, वी.जे.एफ. एवं सुओमोटो आधार पर तैयार की है। राज्य में सड़कों के विकास में रिसोर्सेज की कमी नहीं आये, इस उद्देश्य से सड़क विकास नीति में उपलब्ध राशि का उपयोग करते हुए रिडकोर एवं आर.एस.आर.डी.सी. के माध्यम से अधिकाधिक संस्थागत वित्त जुटाने के प्रयास किये जाएंगे। केन्द्रीय सड़क निधि एवं राज्य सरकार के अन्य मदों से भी सड़कों का विकास किया जाएगा, जिससे लगभग सभी जिले लाभान्वित होंगे।

10. आगामी वर्ष में विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों और योजनाओं के माध्यम से निम्नलिखित सड़कों के कार्य प्रारम्भ किये जाएंगे :

(श्री अशोक गहलोत)

(i) आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा 1,350 किलोमीटर की 19 सड़कें, जिनकी लागत 2,100 करोड़ रुपये की आयेगी।

(ii) रिडकोर द्वारा 263 करोड़ की 6 सड़कें, जिनकी कुल लागत 750 करोड़ रुपये आयेगी।

(iii) भारत सरकार की वी.जी.एफ. (Viability Gap Funding) योजना के अन्तर्गत राज्यीय राजमार्गों के लिये 152 करोड़ की 11 परियोजनाएं, जिनकी कुल लागत 1,891 करोड़ रुपये आयेगी।

(iv) भारत सरकार की वी.जी.एफ. योजना के तहत बी.ओ.टी. आधार पर 1,371 किलोमीटर के 11 राष्ट्रीय राजमार्ग, जिनकी कुल लागत 3,445 करोड़ रुपये आयेगी।

(v) सुओमोटो योजना के तहत 323 किलोमीटर की चार सड़कें, जिनकी कुल लागत 275 करोड़ रुपये आयेगी, एवं

(vi) नाबार्ड के सहयोग से 160 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें, जिनकी कुल लागत 76 करोड़ 45 लाख रुपये आयेगी।

11. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सामान्य क्षेत्रों में 500 से अधिक व मरु तथा जनजाति क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी के लगभग सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। हमने अब जनसंख्या के आधार पर गांवों के अतिरिक्त, बसावटों को चिह्नित करते हुए 5,187 ढाणी एवं मजरों को सड़कों से जोड़ने के लिये 3,354 करोड़ रुपये के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किये हैं।

12. अजमेर में कायड़ विश्राम स्थली का सम्पर्क मार्ग निर्मित करवाया जाएगा। इस पर लगभग एक करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

ऊर्जा :

13. अध्यक्ष महोदय, राज्य के लिये ऊर्जा क्षेत्र के महत्व को देखते हुए वर्ष 2010-11 में 12,434 करोड़ रुपये का योजनागत व्यय प्रस्तावित है जो राज्य की वार्षिक योजना का 52 प्रतिशत है।

14. राज्य सरकार प्रदेश को विद्युत उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य क्षेत्र में थर्मल पावर स्टेशन, सूरतगढ़ की छठी इकाई, कोटा की सातवीं इकाई एवं छबड़ा की पहली इकाई से विद्युत उत्पादन होना प्रारम्भ हो गया है। साथ ही छबड़ा की दूसरी इकाई से

(श्री अशोक गहलोत)

भी इसी माह में विद्युत उत्पादन होना सम्भावित है। इस प्रकार राज्य में 2009 10 में पारम्परिक स्रोतों से विद्युत उत्पादन की क्षमता में 945 मेगावाट की वृद्धि हो जाएगी।

15. थर्मल पावर स्टेशन, कालीसिंध की पहली व दूसरी इकाई एवं छबड़ा की तीसरी व चौथी इकाई पर द्रुत गति से कार्य सम्पादित किया जा रहा है। रामगढ़ की गैस आधारित दो इकाइयों का कार्य भी शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जाएगा। इन सभी परियोजनाओं के कार्य ग्यारहवीं पंचवर्षीय अवधि में पूरे कर लिये जाएंगे एवं इनके परिणामस्वरूप हमारी उत्पादन क्षमता में 1,860 मेगावाट की और वृद्धि हो जाएगी।

16. राज्य एवं निजी क्षेत्र में जो परियोजनाएं प्रारम्भ की जा रही हैं, उनके फलस्वरूप बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में 10,260 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता सृजित होने की सम्भावना है। इनमें से 5,480 मेगावाट की विभिन्न परियोजनाओं पर राज्य और निजी क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ किये जा रहे हैं तथा 4,780 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

17. बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु नई बायोमास नीति 2010 जारी कर दी गई है। चालू वर्ष में 28 मेगावाट क्षमता के बायोमास आधारित ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं तथा आगामी वर्ष में भी 28 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में 300 मेगावाट क्षमता की अतिरिक्त पवन ऊर्जा परियोजनाएं क्रियान्वित करना प्रस्तावित है।

18. सौर ऊर्जा की उपलब्धता की दृष्टि से हमारा राज्य पूरे देश में सबसे अधिक सम्पन्न है। भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 'जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन' बनाया गया है। इस मिशन से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नई 'सौर ऊर्जा नीति' जारी की जायेगी।

19. राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति हेतु प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण करने लिए वर्ष 2010-11 में 2,550 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जायेगी। राज्य में प्रथम बार 765 के.वी. के 2 GSS, अंता तथा फागी में अब स्वीकृत किये गये हैं, जिन पर 2,756 करोड़ रुपये की

लागत आयेगी। इसके अतिरिक्त विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु आगामी वर्ष 33 के.वी. के 320 GSS स्थापित करना प्रस्तावित है।

20. भारत सरकार के दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में आगामी वर्ष 20,000 सोलर घरेलू प्रकाश संयंत्र स्थापित किये जायेंगे।

21. चालू वर्ष में 64,000 आवेदकों को कृषि कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। आगामी वर्ष में लगभग 65,000 कृषि कनेक्शन जारी किये जायेंगे। कृषि कनेक्शनों में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पद्धति अपनाने पर प्राथमिकता देने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है।

22. राज्य में विद्युत उपभोक्ता सेवाओं में ई-गवर्नेंस के उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा। विद्युत वितरण कम्पनियों के कार्यों को कम्प्यूटराइज्ड करने की 529 करोड़ रुपये की 3 वर्षों की परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

जल संसाधन :

23. जल संसाधन के अन्तर्गत चालू योजनाओं को समय पर पूरा करने, नये स्रोतों के विकास, मौजूदा परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण एवं जल प्रबंधन के माध्यम से सिंचाई परियोजनाओं की कार्यकुशलता में बढ़ोतरी पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इन गतिविधियों हेतु आयोजना मद में जल संसाधन के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 777 करोड़ 58 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

24. आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान झालावाड़ की कालीखर, गुलण्डरी तथा पृथ्वीपुरा, उदयपुर की दो नदी एवं बारां की सेमलीफाटक लघु सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की जायेंगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत 35 हजार 500 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र विकसित किया जायेगा।

25. पंजाब में इंदिरा गांधी नहर के फीडर में जगह-जगह टूट-फूट हो जाने से हमारे हिस्से का काफी पानी व्यर्थ चला जाता है। राज्य सरकार के विशेष आग्रह के फलस्वरूप केन्द्र सरकार ने इस फीडर की मरम्मत हेतु Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) के अन्तर्गत 952 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की है और परियोजना लागत का 90 प्रतिशत

(श्री अशोक गहलोत)

अनुदान देने पर भी सहमति दी है। फीडर की मरम्मत का कार्य सम्भवत: अप्रैल 2010 से ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में स्थित फीडर एवं नहर की मरम्मत हेतु 478 करोड़ रुपये की योजना तैयार कर केन्द्र सरकार को AIBP के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु भिजवा दी गई है।

26. नर्बदा नहर के निर्माण का कार्य वर्ष 2010 तक पूरा होना था, किन्तु अभी तक 58 प्रतिशत निर्माण कार्य ही पूरा हो सका है। शेष निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जायेगा।

27. सिद्धमुख नहर से सिंचाई से वंचित गांवों को साहवा लिफ्ट से जोड़ने के लिए सर्वे करवाया जायेगा।

28. बांसवाड़ा जिले की माही परियोजना की upper level canal के ओवरफ्लो के पानी का सार्थक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 1 करोड़ रुपये की लागत से सर्वे कार्य करवाये जाने की मैं घोषणा करता हूं।

29. नागौर जिले के 10 छोटे कस्बों में स्थित 40 तालाबों का RSMML के सहयोग से पुनरुद्धार करने की परियोजना क्रियान्वित की जायेगी।

30. आबूरोड की पेयजल समस्या के समाधान एवं सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने की दृष्टि से भैंसासिंह लघु सिंचाई परियोजना चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित की जायेगी। इस पर 18 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

पेयजल :

31. प्रदेश में बढ़ती आबादी, बदलती जीवनशैली, वर्षा की कमी एवं भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन के परिणामस्वरूप राज्य के 164 ब्लाक ओवर एक्सप्लाइटेड, 34 ब्लाक क्रिटीकल एवं 8 ब्लाक सेमी क्रिटीकल श्रेणी में आ गये हैं और केवल 30 ब्लाक फिलहाल सुरक्षित बचे हैं, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। इन परिस्थितियों में हमारे लिए पेयजल उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती है।

32. हमने राज्य के लिए कई वर्षों से लम्बित 'जल नीति' तैयार की है। मैं चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्यगण जल नीति को लागू करने के लिए गंभीरता से विचार करें और हमें सुझाव दें। समय आ गया है, जब राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह जल के उपभोग को यथासम्भव सीमित रखेगा। वर्तमान परिस्थितियों में पेयजल की खपत पर

(श्री अशोक गहलोत)

नियंत्रण रखना आवश्यक हो गया है। पेयजल प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण हेतु मैं माननीय सदस्यों से उनके सुझाव आमंत्रित करता हूं।

33. पेयजल हेतु वर्ष 2010-11 में राज्य योजना मद में 1 हजार 231 करोड़ रुपये एवं CSS मद में राज्य बजट के माध्यम से 284 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जिससे 61 कस्बों, एस.सी. (अनुसूचित जाति) की 900 बस्तियों एवं 2 हजार 627 गांवों एवं ढाणियों में विभिन्न योजनाओं से पेयजल उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष आपदा राहत निधि से पेयजल हेतु 80 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

34. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारे प्रयास से, केन्द्र सरकार द्वारा काटी गई 508 करोड़ रुपये की राशि राज्य को पुन: जारी करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में 1 हजार 100 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इसके लिए हम केन्द्र सरकार के आभारी हैं।

35. चालू वित्तीय वर्ष में 10 वृहद् परियोजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। इनमें बाघेरी का नाका, रामगंजमंडी-पचपहाड़, झालावाड़-झालरापाटन, उदयपुर शहर की वितरण प्रणाली का विस्तार कार्य, उम्मेदसागर धवा-समदड़ी (पार्ट-I एवं II) एवं सूरतगढ़ टीबा क्षेत्र की परियोजनाएं प्रमुख हैं। धौलपुर के डांग क्षेत्र के 82 गांवों की पेयजल योजना, केरूबेरू जोलियाली ग्रामीण पेयजल योजना, पीपाड़ शहर को इंदिरा गांधी नहर से तथा टोंक शहर को बीसलपुर से पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य हाल ही में शुरू किये गये हैं। बंदबरेठा से भरतपुर की नई पाइप लाइन का कार्य भी इसी माह शुरू किया जा रहा है एवं चम्बल-भरतपुर योजना के ट्रांसमिशन सिस्टम का कार्य भी शीघ्र पूर्ण कर भरतपुर शहर को मीठा पानी उपलब्ध करवाया जायेगा। अजमेर शहर को बीसलपुर फेज-II से पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य भी इसी माह पूर्ण कर लिया जायेगा। राजसमन्द जिले के आमेट कस्बे को भी इसी माह बाघेरी का नाका परियोजना से लाभान्वित कर दिया जायेगा।

36. वृहद् परियोजनाओं का लाभ गांवों तक पहुंचाने के लिए नागौर लिफ्ट फेज-I, चम्बल-भरतपुर, दूदू-बीसलपुर एवं बाड़मेर लिफ्ट परियोजनाओं के 'कलस्टर वितरण प्रणाली' का कार्य भी शीघ्र हाथ में लिया जायेगा। नागौर लिफ्ट फेज द्वितीय परियोजना जिसकी अनुमानित लागत 2 हजार 218 करोड़ रुपये है, चम्बल-भीलवाड़ा परियोजना जिसकी लागत 1 हजार 20 करोड़ रुपये

(श्री अशोक गहलोत)

है, के प्रस्ताव विश्व बैंक से ऋण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त जोधपुर शहर एवं इसके उपनगरों की पेयजल की भविष्य की आवश्यकताओं हेतु 540 करोड़ रुपये की परियोजना बाह्य सहायता हेतु प्रस्तुत कर दी गई है। आपणी योजना फेज-II के प्रस्ताव भी विश्व बैंक को शीघ्र ही प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

37. एशियन डवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित 554 करोड़ रुपये की लागत से 15 शहरों, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, चूरू एवं सीकर में RUIDP के माध्यम से पेयजल संवर्धन योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 7 शहरों में 245 करोड़ रुपये लागत के कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं।

38. जलमणी कार्यक्रम के अन्तर्गत आगामी वर्ष में 5 हजार पाठशालाओं में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल-शोधन इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

39. बारां जिले की अंता एवं मांगरौल तहसील में स्थित 22 गांवों का पानी सल्फेट की अधिक मात्रा होने से प्रभावित है। अत: इन गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 12 करोड़ रुपये के लागत की पेयजल परियोजना प्रस्तावित की गई है।

40. सीकर जिले में फतेहपुर एवं लक्ष्मणगढ़ के 283 गांवों के फ्लोराइडयुक्त पानी के शोधन हेतु 50 लाख रुपये की लागत से सर्वे करवाया जायेगा।

41. उदयपुर की महत्वाकांक्षी देवास परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए वर्ष 2010-11 में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इस परियोजना के महत्व को देखते हुए इसे शीघ्र पूरा करने के प्रयास किये जायेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): 100 करोड़ के बजाय 50 किये हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य** :

42. 'मुख्य मंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष योजना' राज्य में जनवरी, 2009 से पुन: प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत समस्त चयनित बी.पी.एल. परिवारों, स्टेट बी.पी.एल. परिवारों, आस्था कार्डधारी

(श्री अशोक गहलोत)

परिवारों तथा एच.आई.वी. एवं एड्स से पीड़ित मरीजों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2009 से अब तक 26 लाख व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा 28 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। अब इस योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था, विधवा तथा विकलांग पेंशनरों को भी नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। आगामी वर्ष इस योजना के क्रियान्वयन पर लगभग 65 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

43. राज्य सरकार द्वारा निजी चिकित्सालयों को रियायती दरों पर भूखण्ड उपलब्ध कराने के साथ यह शर्त रखी गई थी कि एक निर्धारित संख्या के गरीब लोगों को नि:शुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जायेगी। अत: बीपीएल परिवारों को ऐसे निजी चिकित्सालयों में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की शर्त की पालना कठोरता से कराई जायेगी।

44. आगामी वर्ष प्रदेश के जिला अस्पताल में वृद्धजनों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिये ''जेरियाट्रिक केन्द्र'' स्थापित किये जायेंगे एवं लगभग 300 चिकित्साकर्मियों को जेरियाट्रिक केयर हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा।

45. वर्तमान में संचालित ''108 एम्बूलेंस'' की संख्या इस वर्ष के अंत तक 314 हो जायेगी। वर्ष 2010-11 में 150 अतिरिक्त एम्बूलेंसें 37 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से खरीदी जायेंगी।

46. राज्य के 1 हजार 778 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के राजकीय भवन नहीं हैं। तीन वर्षों में सभी उप-स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन निर्मित किये जायेंगे। आगामी वर्ष में 500 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर 55 करोड़ रुपये की लागत अनुमानित है।

47. राज्य के जनजाति, रेगिस्तानी एवं दुर्गम क्षेत्रों में 150 ब्लाक्स में चल चिकित्सा इकाइयां प्रारम्भ की जायेंगी, जिन पर 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

48. राज्य के समस्त राजस्व गांवों में 43 हजार 353 ग्राम स्वास्थ्य समितियां स्थापित की जायेंगी एवं समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण पर आगामी दो वर्षों में 9 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत आयेगी।

49. जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में आगामी तीन वर्षों में 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया है, जिनमें से आगामी

20 वर्षों में 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे। इसके अतिरिक्त जनजाति क्षेत्रों में 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

50. ऐसे सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, जहां उपलब्ध शय्याओं का शत-प्रतिशत उपयोग हो रहा है, वहां शय्याओं की संख्या में वृद्धि की जायेगी। वर्ष 2010-11 में चौमूं, झालरापाटन, देवली, बाड़ी, सादड़ी, अटरू, आबू रोड, भिंडर, नीमकाथाना, रावतसर, डूंगरगढ़, राजगढ़-अलवर, केलवाड़ा, आसीन्द, केकड़ी, नोखा, तालेड़ा, आहोर, खण्डार एवं बेगूं में एवं जिला चिकित्सालय अलवर, करौली, बूंदी एवं राजसमन्द, पावटा-जोधपुर एवं दौसा में कुल 750 शय्याओं की बढ़ोतरी करना प्रस्तावित है।

51. पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय जिला चिकित्सालय, नागौर के नवीन भवन निर्माण हेतु वर्ष 2010-11 में 4 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

52. ब्यावर, अलवर, पाली एवं प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालयों में बर्न यूनिट की स्थापना की जायेगी। जिला चिकित्सालय ब्यावर, अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, पाली, सीकर, बूंदी, चूरू एवं जैसलमेर में रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त ब्यावर, अलवर, बारां, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, पाली, सीकर, बाड़मेर, बूंदी, डूंगरपुर, चूरू, टोंक, हनुमानगढ़, झुन्झुनूं, नागौर एवं राजसमन्द के जिला चिकित्सालयों में आई.सी.यू. स्थापित की जायेंगी।

53. भरतपुर, सीकर, श्रीगंगानगर एवं प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालयों में आवश्यक स्टाफ एवं उपकरण उपलब्ध कराकर ट्रोमा इकाइयां स्थापित की जायेंगी। इसके साथ ही जालोर, राजसमन्द, दौसा एवं ब्यावर में ट्रोमा इकाइयों के भवनों का निर्माण करवाया जायेगा। इससे राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में ट्रोमा इकाइयां उपलब्ध हो जायेंगी। इसके अतिरिक्त नाथद्वारा, रतनगढ़, सुजानगढ़, लाखेरी, चौमूं, फतेहपुर, सिकन्दरा, गोगुन्दा, रावतसर तथा भीम में भी ट्रोमा इकाइयां स्थापित की जायेंगी।

54. आम जनता को आकस्मिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने, मौसमी बीमारियों तथा विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने की दृष्टि से विभिन्न कैडर्स के चिकित्सकों के 300 पद लीव

(श्री अशोक गहलोत)

रिजर्व के सृजित किये जायेंगे। इन पदों के अतिरिक्त आगामी वर्ष के दौरान चिकित्साधिकारियों के सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले 161 पदों एवं पैरामेडिकल एवं नर्सिंग संवर्ग के रिक्त होने वाले लगभग 400 पदों पर नई नियुक्तियां की जायेंगी।

55. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत नर्सों का पारिश्रमिक 4 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 7 हजार 500 रुपये, ए एन एम का 3 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये तथा लैब टैक्नीशियन का 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपये प्रति माह किया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 14 हजार 700 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

56. राज्य के 15 जिला अस्पतालों का 25 करोड़ रुपये की लागत से कम्प्यूटराइजेशन कराने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा।

57. चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित राजकीय सांवलिया अस्पताल के अन्तर्गत जन सहभागिता योजना के माध्यम से 'जनरल नर्सिंग कालेज' की स्थापना प्रस्तावित है।

58. डूंगरपुर में स्थित स्व. हरिदेव जोशी राजकीय सामान्य चिकित्सालय को ''द'' श्रेणी के चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

59. आगामी वर्ष 15 आयुर्वेद, 5 होम्योपेथी तथा 10 यूनानी के नये औषधालय खोले जायेंगे। इसके अतिरिक्त 6 आयुर्वेद, 2 होम्योपेथी एवं 2 यूनानी औषधालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा।

60. केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत आगामी दो वर्षों में आयुर्वेद चिकित्सालयों का 33 करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। वर्ष 2010-11 में राज्य के 3 हजार 838 आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपेथी औषधालयों को 18 करोड़ 75 लाख रुपये की दवाइयां उपलब्ध कराई जायेंगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पानी का प्रयोग सीमित करें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): कल लिखेंगे प्रेस वाले, कितनी बार पानी पीया। Don't Worry.

61. यूनानी चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मैं एक 'पृथक निदेशालय' गठित करने की घोषणा करता हूं।

चिकित्सा शिक्षा :

62. चिकित्सा सेवाओं के विस्तार हेतु वर्ष 2010-11 में मेडिकल

(श्री अशोक गहलोत)

कालेजों से सम्बद्ध सभी चिकित्सालयों में 1 हजार शय्याओं की वृद्धि करना प्रस्तावित है। इन शय्याओं में से 100 अजमेर में, 100 जोधपुर में, 120 उदयपुर में, 170 कोटा में, 190 जयपुर में एवं 320 बीकानेर में स्थापित की जायेंगी। इन्हीं शय्याओं में से 178 शय्याएं इन चिकित्सालयों की आई.सी.यू. में स्थापित की जायेंगी।

63. सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में जटिल रोगों के बेहतर उपचार हेतु सर्जिकल गेस्ट्रोएंट्रोलाजी एवं सर्जिकल आन्कोलाजी इकाइयों की स्थापना की जायेगी। प्रत्येक इकाई पर लगभग 1 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

64. जे.के. लोन चिकित्सालय जयपुर में गम्भीर एवं जटिल शिशु रोगों के उपचार हेतु 14 करोड़ रुपये की लागत से शिशु रोग सुपर स्पेशियलिटी विंग की स्थापना की जायेगी। आगामी वर्ष इसके लिये 3 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

65. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर में 85 लाख रुपये की लागत से संक्रामक रोग वार्ड की एवं 1 करोड़ रुपये की लागत से शिशु शल्य गहन चिकित्सा इकाई की स्थापना की जायेगी। महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर के नवीन आपातकालीन बाह्य रोगी चिकित्सा केन्द्र का निर्माण करवाया जायेगा।

66. उदयपुर मेडिकल कालेज चिकित्सालय में नेत्र रोग विभाग हेतु 'फेको इमल्सीफिकेशन मशीन' क्रय की जायेगी एवं दंत महाविद्यालय, जयपुर में आई.सी.यू. की स्थापना की जायेगी।

67. प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों और जिला चिकित्सालयों में आमजन को उचित दरों पर जांच सुविधायें आउट-सोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिये नीति बनाई जायेगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता :

68. राज्य सरकार नि:शक्तजनों के कल्याण हेतु कृतसंकल्प है तथा इस हेतु 'नि:शक्तजन नीति' बनाई जायेगी, जिससे इन लोगों को आत्मनिर्भर बनाये जाने के अधिक अवसर सुलभ कराये जा सकेंगे।

69. अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में 58 वर्ष से अधिक और 65 वर्ष से कम आयु वर्ग के पुरुष पेंशनर्स को 100 रुपये प्रतिमाह, इसी आयु वर्ग की

(श्री अशोक गहलोत)

महिला पेंशनर्स को 200 रुपये प्रतिमाह एवं संयुक्त पेंशनर्स को 300 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन देय है। दम्पत्ति में से किसी एक की आयु 65 वर्ष से अधिक होने पर 500 रुपये प्रतिमाह एवं दोनों की आयु 65 वर्ष से अधिक होने पर 600 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन देय है। बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए पेंशन की दरों में निम्नानुसार बढ़ोतरी करने की मैं घोषणा करता हूं :-

(1) 75 वर्ष से अधिक आयु के सभी पेंशनर्स को 750 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन देय होगी;

(2) 75 वर्ष से कम आयु के पात्र सभी पेंशनर्स को 500 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन देय होगी; एवं

(3) वर्तमान में संयुक्त पेंशन के मामलों में विभिन्न दरों पर पेंशन देय है। दरों में बढ़ोतरी एवं इनका सरलीकरण करते हुए अब पति-पत्नी की आयु 75 वर्ष से अधिक होने पर 1 हजार 500 रुपये एवं 75 वर्ष से कम होने पर 1 हजार रुपये की पेंशन देय होगी।

70. वृद्धावस्था पेंशन के साथ विधवा एवं विकलांग पेंशन की दरें भी 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये एवं 75 वर्ष से अधिक आयु होने पर 750 रुपये की जायेगी। पेंशन दरों के बढ़ने से लगभग 10 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। पेंशन की दरों में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप लगभग 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा।

71. आगामी वर्ष से सामान्य श्रेणी के नि:शक्त विद्यार्थियों को भी उत्तरमैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में फीस का पुनर्भरण किया जायेगा।

72. वर्तमान में संचालित राज्य के एकमात्र मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास केन्द्र, जयपुर में 230 महिलायें एवं बच्चे रह रहे हैं, जबकि इस केन्द्र की क्षमता 75 की ही है। अत: जयपुर एवं जोधपुर में 250 250 की क्षमता के दो पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

73. भरतपुर संभाग मुख्यालय पर 1 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से नारी निकेतन एवं पुनर्वास गृह हेतु भवन निर्माण का कार्य आगामी वर्ष प्रारम्भ किया जायेगा।

74. पालनहार योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग एवं एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चों को भी 675 रुपये मासिक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

75. राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु वर्तमान में 721 छात्रावास संचालित हैं, जिनकी क्षमता लगभग 28 हजार है। इस क्षमता को चरणबद्ध रूप से बढ़ाया जायेगा तथा आगामी वर्ष शहरी क्षेत्रों के ऐसे 41 छात्रावासों की क्षमता 25 से बढ़ाकर 50 की जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्य के जिन 33 तहसील मुख्यालयों पर छात्रावास सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां चरणबद्ध रूप से छात्रावास स्थापित किये जायेंगे। इनमें से आगामी वर्ष में जहां एस सी, एसटी एवं ओ बी सी वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है, ऐसे 11 तहसील मुख्यालयों पर छात्रावासों का निर्माण करवाया जायेगा।

76. नि:शक्त बालक-बालिकाओं हेतु संचालित निजी विद्यालयों को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

77. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्तमान में 621 राजकीय छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। इन छात्रावासों की मरम्मत हेतु वर्ष 2010-11 में 3 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया जा रहा है।

78. वर्तमान में मंडाना, जिला कोटा में भिक्षावृत्ति एवं अवांछित गतिविधियों में लिप्त परिवारों के बच्चों की शिक्षा हेतु आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। इस विद्यालय की वर्तमान क्षमता 120 से बढ़ाकर 200 की जायेगी।

79. विशेष पिछड़े वर्ग के लोगों हेतु देवनारायण योजना राज्य में दो वर्षों से चलाई जा रही है। आधारभूत सुविधायें जैसे हॉस्टल, पानी की व्यवस्था, डिस्पेन्सरी आदि में उपलब्ध करवाने की योजना अभी प्रगति पर है। विशेष पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में अब तक अलग से 5 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा न्यायिक आदेशों के कारण नहीं मिल पाई है। न्यायिक आदेशों को ध्यान में रखते हुए अस्थाई रूप से विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल वर्गों को पुन: पूर्व की भांति अन्य पिछड़ा वर्ग में ही आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, ताकि ये वर्ग आरक्षण की सुविधा से वंचित नहीं रहे। इन विषम परिस्थितियों को देखते हुए इस वर्ग के युवाओं को हमने देवनारायण योजना के अन्तर्गत विशेष पैकेज देने का निर्णय लिया है, ताकि इनको शिक्षा के क्षेत्र में सुविधायें प्रदान की जा सकें एवं प्रतिस्पर्धा में ठहरने के लिए सक्षम बनाया जा सके। अत: इस वर्ग के उत्थान के लिए निम्न प्रस्ताव क्रियान्वित किये जायेंगे :-

(i) अनुसूचित जाति एवं जनजाति लोगों के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कालरशिप योजना के अनुरूप विशेष पिछड़े वर्ग, गुर्जर, बंजारा, गाडियालुहार एवं रेबारी समुदाय के विद्यार्थियों के लिए भी पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। दसवीं कक्षा के बाद भी उच्च शिक्षा तक इस वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती रहेगी एवं उच्च शिक्षा के अन्य पाठ्यक्रमों के लिए भी यह सुविधा जारी रहेगी। इस हेतु 25 करोड़ का प्रावधान आने वाले वर्ष में किया जायेगा,

(ii) अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों को अनुप्रति योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही वित्तीय सहायता के अनुरूप विशेष पिछड़े वर्ग के युवाओं को परीक्षाओं की तैयारी हेतु, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षाओं के लिए 50 हजार रुपये एवं अखिल भारतीय सेवा परीक्षाओं के लिए 1 लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी। मुझे उम्मीद है कि इस योजना का फायदा उठाकर विशेष पिछड़ी जाति के युवाओं को सरकारी नौकरी हेतु और सक्षम बनाने में मदद मिलेगी,

(iii) जिन क्षेत्रों में विशेष पिछड़े वर्ग के लोगों का बाहुल्य है, वहां 6 नये आई टी आई निर्माणाधीन हैं एवं 12 छात्रावास स्वीकृत किये जा चुके हैं, एवं

(iv) देवनारायण बोर्ड के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु वर्ष 2010-11 में 22 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जिसमें आवश्यकतानुसार बढ़ोतरी की जायेगी।

अल्पसंख्यक कल्याण :

80. अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के शैक्षणिक स्तर को सुधारना आवश्यक है, ताकि वे प्रदेश के विकास में प्रभावी भागीदारी निभा सकें। अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत रूप से मानिटरिंग करने की व्यवस्था की जायेगी। अल्पसंख्यक युवाओं हेतु भारत सरकार ने प्री-मैट्रिक स्कालरशिप की नई योजना प्रारम्भ की थी। इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ में 17 हजार विद्यार्थी लाभ उठा रहे थे, जो हमारे प्रयासों से बढ़कर अब लगभग 60 हजार हो गये हैं।

81. मदरसा बोर्ड के विद्यालयों में 2 हजार 500 अतिरिक्त शिक्षा सहयोगी उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। वर्तमान में संचालित कई मदरसे उच्च

(श्री अशोक गहलोत)

प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर दिये गये हैं, अत: आगामी वर्ष में एक हजार शिक्षा सहयोगी और उपलब्ध करवाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त मदरसों में पुस्तकालय, कम्प्यूटर, फर्नीचर, दरी व अन्य आवश्यक संसाधनों हेतु 2 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षित सहयोगियों को संविदा पर लिया जायेगा।

82. अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जयपुर में एक छात्रावास का निर्माण करवाया जायेगा। राज्य में जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या अधिक है ऐसे पांच स्थानों पर आई टी आई खोले जायेंगे।

83. अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पृथक से 'दस्तकार योजना' नगरीय विकास विभाग के द्वारा संचालित की जायेगी, ताकि इस वर्ग के लोगों को आवश्यक प्रशिक्षण सुलभ कराया जा सके। चालू वर्ष में वक्फ बोर्ड को 45 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिया गया है, आगामी वर्ष में 50 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिये जायेंगे। वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों की वीडियोग्राफी करवाई जायेगी एवं प्रोपर्टी रजिस्टर संधारित किया जायेगा, ताकि बोर्ड की नियमित आय सुनिश्चित की जा सके।

जनजाति विकास :

84. जनजाति उपयोजना क्षेत्र विकास की 'महाराष्ट्र प्रणाली' योजना का नामकरण 'जनजाति कल्याण निधि' करने का निर्णय लिया गया है। आगामी वर्ष इस निधि को बढ़ाकर 124 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

85. अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकारों की मान्यता सम्बन्धी अधिनियिम की क्रियान्विति के तहत 28 हजार दावे स्वीकृत किये गये हैं तथा अगले तीन महीनों में सभी को पट्टे दे दिये जायेंगे।

86. उदयपुर जिले की कोटड़ा एवं झाड़ोल पंचायत समितियों के 37 गांवों में निवास करने वाले कथोड़ी समुदाय के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए 200 पक्के आवासों का निर्माण नाबार्ड के सहयोग से करवाया जायेगा।

87. आदिवासी कृषक परिवारों की आय में वृद्धि के लिए उद्यानिकी विकास के अन्तर्गत लहसुन, अदरक जैसी मसाले की फसलें तथा संकर किस्म की सब्जियों के उत्पादन की योजना प्रारम्भ करना प्रस्तावित है। इस योजना

(श्री अशोक गहलोत)

के अन्तर्गत अनुसूचित, माडा तथा बिखरी आबादी क्षेत्रों के लगभग 38 हजार परिवार लाभान्वित होंगे एवं लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत आयेगी।

88. जनजाति परिवारों के पशुधन की गुणवत्ता में सुधार एवं इनकी उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए पशुपालन विभाग के माध्यम से Manger (नाद) निर्मित करवाने, कुट्टी काटने की मशीन एवं दुग्ध संग्रहण कैन उपलब्ध करवाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करवाने, पशु चिकित्सा एवं नस्ल सुधार हेतु कैम्प लगाने के लिए अनुसूचित, माडा तथा बिखरी आबादी क्षेत्र में 3 करोड़ रुपये व्यय करना प्रस्तावित है।

89. अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति परिवारों के रोजगार की तलाश में पलायन को रोकने हेतु, इन परिवारों के बच्चों को 8 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा आदि सुलभ कराई जायेगी। आगामी वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत 3 करोड़ रुपये खर्च करना प्रस्तावित है।

90. मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शैक्षणिक प्रोत्साहन कार्यक्रमों के अन्तर्गत आगामी वर्ष से निम्नानुसार दरें बढ़ाना प्रस्तावित है :-

(i) खेल छात्रावासों के आवासियों की भोजन सामग्री हेतु दरें 40 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति छात्र प्रतिदिन,

(ii) आश्रम छात्रावासों के आवासियों हेतु शैक्षणिक भ्रमण की दरें 60 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये, एवं

(iii) इसके अतिरिक्त, महाविद्यालयों में अध्ययनरत सहरिया छात्रों एवं छात्राओं हेतु वार्षिक सहायता 13 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये करना प्रस्तावित है।

91. महाविद्यालयों में अध्ययनरत जनजाति छात्राओं को दी जाने वाली शैक्षणिक प्रोत्साहन राशि की दर 350 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 500 रुपये करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त अब उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत जनजाति छात्राओं को भी 350 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

92. ऐसी छात्रा जिसे दसवीं कक्षा में 65 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के फलस्वरूप स्कूटी मिल गई है, उसके बारहवीं कक्षा में भी 65 प्रतिशत अंक प्राप्त करने एवं स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 20 हजार रुपये, द्वितीय

वर्ष में 10 हजार रुपये और तृतीय वर्ष में 10 हजार रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

93. जनजाति युवाओं में विज्ञान विषय के प्रति रुझान पैदा करने के लिए अनुसूचित क्षेत्र में आगामी वर्ष उदयपुर में एक 'साईंस पार्क' की स्थापना की जायेगी।

94. रोजगार की दृष्टि से अंग्रेजी भाषा में अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के 10 महाविद्यालयों में आगामी वर्ष 1 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से 'लिंग्वालैब' की स्थापना की जायेगी।

95. सवाईमाधोपुर, अलवर एवं करौली जिले में नवीन एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय खोलने की योजना है। इन विद्यालयों के भवनों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, जिसकी कुल लागत 6 करोड़ रुपये आयेगी।

96. वर्तमान में संचालित आवासीय विद्यालय, कुशलगढ़, सीमलवाड़ा, कोटड़ा, आबू रोड, निवाई, प्रतापगढ़ तथा शाहबाद में आगामी वर्ष विज्ञान संकाय खोले जायेंगे, जिसके लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

97. सहरिया छात्रों की सुविधा के लिए बारां जिले में 1 करोड़ रुपये की लागत से आश्रम छात्रावास के निर्माण का कार्य आगामी वर्ष प्रारम्भ किया जायेगा।

98. बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली एवं बारां जिला चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 3 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

महिला एवं बाल विकास :

99. सुरक्षित मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की दृष्टि से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव कराने वाली महिलाओं को गरम भोजन उपलब्ध कराने की योजना प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना के क्रियान्वयन पर लगभग 10 करोड़ रुपये की वार्षिक लागत आयेगी।

100. अपने स्वयं के रोजगार स्थापित करने हेतु 10 हजार गैर-अनुदानित महिला स्वयं सहायता समूहों के ऋणों पर 50 प्रतिशत ब्याज

अनुदान दिया जायेगा, जिस पर लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपये का भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

101. पीड़ित महिलाओं को आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर महिला थानों में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालित किये जायेंगे। इन केन्द्रों के संचालन हेतु स्वयंसेवी संगठनों को 3 लाख रुपये प्रतिवर्ष की दर से सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

वन :

102. गत वर्ष हमने 'हरित राजस्थान' योजना प्रारम्भ की थी। आम जनता ने इस योजना का स्वागत किया है और नीति स्तर पर भी इस हेतु प्रयास किये गये हैं। कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी इसमें बढ़-चढ़ कर के भाग लिया है। वन, ग्रामीण विकास, शिक्षा, जल संसाधन एवं सार्वजनिक निर्माण विभागों के समन्वय से इस कार्यक्रम को जारी रखा जायेगा। पेड़ लगाने के साथ-साथ पेड़ को जीवित रखना भी हमारा मकसद होना चाहिये। आगामी वर्षों में इस योजना की क्रियान्विति पर विशेष बल दिया जायेगा।

103. वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु सीधी भर्ती द्वारा वनरक्षकों के 1 हजार रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।

पर्यावरण :

104. वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील हो गया है। राज्य की अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन एवं इससे निपटने के लिए कार्य योजना सुझाने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा 'टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टिट्युट, पूणे' की सेवाएं ली जाकर राज्य की कार्य योजना का प्रारूप तैयार करवाया गया है, जिसे शीघ्र ही अंकित रूप दिया जायेगा।

105. प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होने वाली गैसेज की मात्रा में कमी लाने एवं कार्बन क्रेडिट अर्जित करने को प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के अधीन एक 'क्लीन डवलपमेंट मैकेनिज्म सेल' स्थापित किया जायेगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज :

106. तेरहवें केन्द्रीय वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं हेतु

(श्री अशोक गहलोत)

आगामी पांच वर्षों के लिए देय अनुदान राशि में पर्याप्त बढ़ोतरी की है लेकिन अब अनुदान का एक हिस्सा परफोरमेंस आधारित होगा। वित्त आयोग ने इसके मानदंड निर्धारित किये हैं, जिनके अन्तर्गत राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। अत: पंचायती राज संस्थाओं में आयोग की अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक सुधार किये जायेंगे।

107. 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर 25 लाख रुपये एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 10 लाख रुपये की लागत से 'भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र' स्थापित किये जा रहे हैं। इन सेवा केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न सेवाओं एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

108. नरेगा योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में संविदा पर कार्यरत रोजगार सहायक का मानदेय 2 हजार 500 रुपये से बढ़ा कर के 3 हजार 500 रुपये किया जा रहा है।

109. राज्य में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार हेतु बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए वर्तमान में 26 जिलों में प्रशिक्षण केन्द्र (RUDSETI) स्थापित हैं। आगामी वर्ष शेष 7 जिलों, भीलवाड़ा, बूंदी, झुन्झुनूं, नागौर, सवाईमाधोपुर, सीकर एवं प्रतापगढ़ में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RUDSETI) स्थापित करने का प्रस्ताव है।

110. 'सीमावर्ती क्षेत्र के विकास कार्यक्रम' (BADP) के अन्तर्गत आगामी वर्ष 93 करोड़ रुपये की लागत के पेयजल, विद्युतीकरण, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से सम्बन्धित कार्य स्वीकृत करवाये जायेंगे।

111. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन को जान कर प्रसन्नता होगी कि सभी ग्राम पंचायतों को पात्रता के अनुसार आबादी पट्टे प्रदान करने के लिए विस्तृत सर्वे करने एवं आबादी विस्तार हेतु भूमि आबंटन के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इसके अन्तर्गत सभी पात्र परिवारों को आबादी पट्टे प्रदान करने की योजना बनायी गयी है।

112. राज्य में 'राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा' का गठन पूर्व वर्षों में किया गया था। इस सेवा के 150 विकास अधिकारी के पदों पर चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है। आगामी वर्ष में भी 74 अतिरिक्त पदों हेतु

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्य में 'राजस्थान ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा' का गठन करना प्रस्तावित है।

113. भारत सरकार के सहयोग से मिड-डे मील कार्यक्रम के अन्तर्गत:-

(i) 26 हजार विद्यालयों में 128 करोड़ रुपये की लागत से रसोईघरों का निर्माण कराना प्रस्तावित है ;

(ii) 34 हजार विद्यालयों को भोजन पकाने एवं परोसने के बर्तन उपलब्ध कराये जाने प्रस्तावित हैं ; एवं

(iii) 25 हजार विद्यालयों में भोजन पकाने के लिए गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे।

114. राज्य के लगभग 70 हजार विद्यालयों में खाना बनाने के लिए 1 हजार रुपये प्रति माह के मानदेय पर लगभग 1 लाख 40 हजार व्यक्तियों का सहयोग लिया जायेगा जिसमें करीब 120 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

115. आगामी वर्ष में मेवात विकास हेतु प्रावधान को बढ़ाकर 7 करोड़ 50 लाख रुपये, डांग क्षेत्र हेतु 2 करोड़ रुपये एवं मगरा क्षेत्र हेतु 5 करोड़ रुपये रखा जाना प्रस्तावित है।

116. माननीय सदस्यगण सहमत होंगे कि गांवों का विकास भी शहरों की भांति सुनियोजित तरीके से होना चाहिये। भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गांवों में भी भू-उपयोग का विस्तृत प्लान बनाया जाना चाहिये। गांवों के मास्टर-प्लान में विद्यालय, अस्पताल, बस स्टैंड, राजकीय भवन, सरकारी आवास, खेल के मैदान, डेयरी, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बाजार एवं ग्रीन बैल्ट इत्यादि का प्रावधान होना आवश्यक है ताकि गांवों का भविष्य में संतुलित विकास हो सके। इस सोच के साथ राज्य के समस्त गांवों के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर-प्लान बनाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

कृषि :

117. वर्ष 2009-10 में इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र में, विशेषकर टेल क्षेत्र में, नहरी जल के संग्रहण हेतु 8 लाख लीटर क्षमता की 1 हजार डिग्गियां 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' के अन्तर्गत स्वीकृत की गई हैं। इस योजना में कुल लागत का 50 प्रतिशत अथवा 1 लाख 50 हजार रुपये, जो भी कम हो,

(श्री अशोक गहलोत)

किसानों को अनुदान के रूप में दिया गया है। यह योजना बहुत लोकप्रिय हुई है और किसानों द्वारा अधिक डिग्गियों की मांग की जा रही है। अत: वर्ष 2010-11 में 2 हजार और डिग्गियों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है एवं प्रति डिग्गी अनुदान बढ़ा कर 2 लाख रुपये तक दिया जायेगा एवं इस पर 40 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है।

118. गत वर्ष मैंने राज्य के सात जिलों में 'मौसम आधारित फसल बीमा योजना' लागू करने की घोषणा की थी। योजना की सफल क्रियान्विति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इसका विस्तार रबी के समय वर्ष 2009-10 के लिए प्रदेश के अन्य दस जिलों में किया गया। आगामी खरीफ वर्ष 2010 से इस योजना को सम्पूर्ण राज्य में लागू करने की मैं घोषणा करता हूं। यह योजना 'राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना' की तुलना में बीमित कृषकों के लिए अधिक लाभदायक है क्योंकि काश्तकारों की फसल नष्ट होने पर खराबे के अनुपात में उनको मुआवजा मिल सकेगा एवं यह विधि वैज्ञानिक आधार पर बनाई गई है। सम्पूर्ण राज्य में योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार पर प्रति वर्ष लगभग 160 करोड़ रुपये के प्रीमियम का वित्तीय भार पड़ेगा। क्षतिपूर्ति की स्थिति में शत-प्रतिशत राशि बीमा कम्पनियों द्वारा वहन की जायेगी। इस निर्णय से उम्मीद की जा सकती है कि किसानों द्वारा बीमा योजना को लेकर जो शिकायतें आ रही हैं, वे समाप्त हो जायेंगी।

119. खरीफ 2009 में वर्षा कम होने के कारण राज्य सरकार द्वारा 27 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। इन सूखाग्रस्त जिलों के लघु एवं सीमांत कृषकों को 2 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हैक्टेयर तक अनुदान राशि देने का निर्णय लिया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा इनपुट सब्सिडी के पेटे 797 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। राज्य सरकार ने अब तक इस पेटे 453 करोड़ रुपये का आबंटन कर दिया है तथा और मांग आने पर अतिरिक्त राशि उपलब्ध करा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त किसानों के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने के पेटे राज्यांश के रूप में 219 करोड़ रुपये सहकारी बैंकों को उपलब्ध कराये गये हैं।

120. अकाल की स्थिति को देखते हुए रबी के दौरान वर्ष 2009-10 में राज्य में लगभग 9 लाख 2 हजार चारा मिनि किट्स का निशु:ल्क वितरण किया गया। इन मिनि किट्स से लगभग एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र में चारे की

(श्री अशोक गहलोत)

बुवाई की गई, जिससे पशुओं के लिए लगभग 60 लाख मैट्रिक टन हरा चारा उपलब्ध होने का अनुमान है। रबी के पश्चात् जायद में 2 लाख 80 हजार चारा मिनि किट्स के और वितरण की योजना है। यह मिनि किट्स उन किसानों को आबंटित किये जायेंगे जिनके पास सिंचाई के साधन हैं, ताकि ग्रीष्मकाल में दुधारु पशुओं को हरा चारा उपलब्ध हो सके।

121. उदयपुर एवं बांसवाड़ा जिलों के जनजाति क्षेत्रों में मक्का की उत्पादकता तथा कृषकों की आय में वृद्धि के लिए खरीफ एवं रबी के दौरान प्रोजेक्ट गोल्डन रेज के अन्तर्गत मक्का के हाइब्रिड बीजों का वितरण किया गया, जिससे कम वर्षा के बावजूद उत्पादकता में लगभग दुगनी वृद्धि हुई। परियोजना के सफल परिणामों को देखते हुए खरीफ 2010 में बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व सिरोही जिलों के जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आदिवासी कृषकों के खेतों पर यह कार्यक्रम हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के लिए 3 हजार 500 मैट्रिक टन मक्का के हाइब्रिड बीजों का वितरण किया जाएगा। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2010-11 में 35 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

सहकारिता :

122. राज्य सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक किसानों को अल्पकालीन ऋणों की सुविधा दी जाए। चालू वर्ष में 16 लाख किसानों को 3 हजार 230 करोड़ रुपये का फसली ऋण वितरित किया गया है। अधिक संख्या में किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों को वर्ष 2010-11 में 30 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसके फलस्वरूप आगामी वित्तीय वर्ष में 16 लाख की बजाय 21 लाख किसानों को कुल पांच हजार करोड़ रुपये का अल्पकालीन फसली ऋण देना सम्भव हो सकेगा।

123. सहकारी क्षेत्र में बैंकों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गठित वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सहकारी अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर दिये गये हैं, जिसके फलस्वरूप केन्द्र सरकार से इस हेतु 241 करोड़ रुपये की राशि सहकारी बैंकों को प्राप्त हो गई है। पूर्व सरकार द्वारा वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप आवश्यक संशोधन नहीं किये गये, इसलिए सहकारी संस्थाओं को भारत सरकार से

(श्री अशोक गहलोत)

सहायता नहीं मिल सकी। अब इन संस्थाओं को लगभग 500 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे जिसमें से 15 प्रतिशत राज्य का हिस्सा होगा।

124. वर्तमान में जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के काश्तकारों को फसली सहकारी ऋण, खाद-बीज एवं उर्वरकों के वितरण और उचित मूल्य पर उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध कराने के लिए केवल 276 लैम्प्स हैं जनजाति क्षेत्र में, जो अपर्याप्त हैं। अत: हमने आगामी वर्ष में 100 नई लैम्प्स खोलने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 20 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

125. सहकारी आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए एन सी डी सी के सहयोग से राज्य के शेष ग्यारह जिलों जयपुर, उदयपुर, राजसमन्द, श्रीगंगानगर, चूरू, नागौर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, धौलपुर एवं प्रतापगढ़ में आगामी वर्ष समग्र सहकारी विकास योजना का संचालन किया जाएगा, जिसके लिए राज्य मद से 2 करोड़ 20 लाख रुपये एवं एन सी डी सी से 33 करोड़ 60 लाख रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे।

126. किसानों को समय पर डी ए पी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस वर्ष हमने राजफैड के माध्यम से 2 लाख 60 हजार मैट्रिक टन डी ए पी का अग्रिम भंडारण किया था, ताकि काश्तकारों को यह समय पर उपलब्ध कराया जा सके। आगामी वर्ष राजफैड के माध्यम से 3 लाख मैट्रिक टन डी ए पी तथा एक लाख मैट्रिक टन यूरिया का अग्रिम भंडारण किया जाएगा और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से इसके वितरण की व्यवस्था की जाएगी।

127. प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर क्रय-विक्रय सहकारी समिति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आगामी वर्ष 40 नई क्रय विक्रय सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा जिस हेतु 2 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

128. ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्गों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए इनको ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए माइक्रो फाइनेंस की अहम भूमिका है। आगामी वर्ष सहकारी संस्थाओं के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को, जिनमें महिला स्वयं सहायता समूह भी शामिल हैं, 100 करोड़ रुपये के ऋणों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

पशुपालन :

129. पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार एवं पशुपालन की योजनाओं

(श्री अशोक गहलोत)

का पर्याप्त लाभ पशुपालकों को दिलवाने की दृष्टि से वर्तमान में संचालित 1 हजार 862 पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को चरणबद्ध रूप से क्रमोन्नत किया जाएगा। वर्ष 2010-11 में 285 उप केन्द्रों को पशु औषधालयों में, 100 उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में एवं 71 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी के चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 100 नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

130. आगामी वर्ष में 100 पशु चिकित्सकों तथा 225 पशुधन सहायकों की नवीन नियुक्ति की जाएगी। विभागीय सेवाओं से वंचित पंचायतों में बेरोजगार पशु चिकित्सकों अथवा पशुधन सहायकों को छह हजार रुपये के उपकरण अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये जाएंगे ताकि वे इन स्थानों पर अपने स्वयं के पशु धन सेवा केन्द्र संचालित कर सकें।

131. राज्य में वर्तमान में लगभग 24 हजार 500 मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन होता है। राज्य में मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में प्रशिक्षित तथा योग्य तकनीकी मानव संसाधन की कमी है। राज्य में जल कृषि एवं मत्स्यकी उद्योग को विकसित करने की दृष्टि से आगामी वर्ष से कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर के अन्तर्गत चार करोड़ रुपये की लागत से एक फिशरीज कालेज स्थापित किया जाएगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति :

132. वर्तमान में मंहगाई की समस्या से हम सभी चिंतित हैं। इस विषय पर प्रधान मंत्रीजी ने भी गत महीनों में सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक की थी। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार मंहगाई पर नियंत्रण हेतु अनेक कदम उठा रही है, जिसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इस क्रम में हमने राज्य के प्रमुख शहरों में रियायती दरों पर आटा, दाल और गेहूं के वितरण का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त जो कदम उठाये गये हैं, उनमें चीनी व दालों के व्यापार में लाइसेंस व्यवस्था लागू करना, स्टाक सीमा तथा टर्न ओवर सीमा निर्धारित करना शामिल है। राज्य सरकार भविष्य में भी जमाखोरी व कालाबाजारी को समाप्त करने के लिए कृतसंकल्प है। जनता को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दृष्टि से चलाया जा रहा शुद्ध-के-लिए-युद्ध अभियान भी प्रभावशाली रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत किये गये निरीक्षणों के परिणामस्वरूप 100 अनुज्ञा पत्र निरस्त किये गये, 338 अनुज्ञा

(श्री अशोक गहलोत)

पत्र निलम्बित किये गये एवं 51 प्रकरणों में एफ आई आर दर्ज की गई। इसी प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत 2 हजार 400 से अधिक प्रकरण दर्ज किये गये तथा विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत 123 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

133. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता परखने के लिए प्रत्येक जिले में एक मोबाइल टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी।

134. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार ने राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना करने का निर्णय लिया है। सुनते रहो, आगे सुनते रहो, अभी तो शुरुआत हुई है भइया। यह निगम भारतीय खाद्य निगम एवं चीनी मिलों आदि से सामग्री का निर्धारित समय में उठाव कर उचित मूल्य की दुकानों को बिना किसी विलम्ब के सामग्री की आपूर्ति का कार्य करेगा। इस निगम की पूंजी हेतु पचास करोड़ रुपये का अंशदान देना प्रस्तावित किया गया है।

135. लम्बे समय से चली आ रही मांग को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए थोक विक्रेताओं का कार्य कर रही संस्थाओं की कमीशन दर पांच रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर दस रुपये प्रति क्विंटल किया जाना प्रस्तावित किया गया है। साथ ही खुदरा विक्रेताओं के कमीशन की वर्तमान दर को आठ रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर बीस रुपये प्रति क्विंटल किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

136. अब भविष्य में उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न वितरण, सरकारी कर्मचारी की मौजूदगी में प्रत्येक माह की दिनांक 15 से 21 की अवधि में करने हेतु पाबंद किया जाएगा, ताकि वितरण पर समुचित निगरानी रखी जा सके।

137. अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी घोषणा करता हूं कि आगामी 1 मई मजदूर दिवस है, 1 मई, 2010 से बी पी एल परिवारों को 4 रुपये 70 पैसे प्रति किलो की बजाए दो रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना हेतु राज्य सरकार लगभग 170 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। बी पी एल परिवारों को वास्तविक रूप से इस योजना का लाभ मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए कूपन व्यवस्था लागू की जाएगी।

138. उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए राज्य उपभोक्ता मंच

(श्री अशोक गहलोत)

की सर्किट बैंचों की स्थापना प्रथम चरण में कोटा, बीकानेर एवं उदयपुर में प्रस्तावित है, जो राज्य के इन संभागीय मुख्यालयों में लम्बित प्रकरणों का निपटारा करेंगी।

श्रम एवं रोजगार :

139. प्रदेश में विशेषत: शहरी क्षेत्रों में कार्यरत डोमेस्टिक सर्वेंट्स जिनमें अधिकांश महिलाएं होती हैं, की सामाजिक सुरक्षा हेतु वर्तमान में कोई कानून नहीं है। अत: इस श्रेणी के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु डोमेस्टिक वर्कर्स सिक्योरिटी एक्ट बनाना प्रस्तावित करता हूं।

140. केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक सम्भाग में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई टी आई) का चयन कर, इनको 'सेंटर्स आफ एक्सीलेंस' के रूप में विकसित किया जायेगा।

141. राज्य सरकार प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई टी आई) की सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है। अत: चरणबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी 48 पंचायत समितियों में जहां वर्तमान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं हैं, वहां निजी सहभागिता से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को बढ़ावा देने का निश्चय किया है।

142. 'राइट टू एजुकेशन एक्ट' के लागू होने से हमारे शैक्षणिक परिवेश में आमूलचूल परिवर्तन होगा। अब यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाये एवं शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। अत: हमने निर्णय लिया है कि आगामी वर्ष में विद्यालयों को सिर्फ क्रमोन्नत करने के बजाय, प्राथमिक स्तर पर उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करते हुए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं, जिससे हमारे विद्यालयों में शिक्षा का अच्छा वातावरण सृजित हो सके। इसके लिये शिक्षा के प्रशासन तंत्र को मजबूत करते हुए प्रभावी पर्यवेक्षण की व्यवस्था भी की जायेगी। इस कड़ी में निम्न कदम उठाये जायेंगे:-

(1) वर्ष 2010-11 में 1 हजार अतिरिक्त क्लास रूम्स का निर्माण कराया जायेगा, जिस पर लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत आयेगी,

(2) कक्षा 9 से 12 में एन सी ई आर टी के 'नेशनल करीक्युलम फ्रेमवर्क' के अनुसार अध्यापन करवाया जायेगा। राजस्थान राज्य से सम्बंधित ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान उपलब्ध कराने के लिये पाठ्यक्रम में एक अतिरिक्त पुस्तक भी शामिल की जायेगी,

(3) राज्य में संचालित 200 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में से 74 को माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा, जिस पर 31 करोड़ रुपये खर्च होंगे,

(4) उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिये अंग्रेजी विषय के 300 व्याख्याताओं के पदों का सृजन किया जायेगा,

(5) कम्प्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम (सी ए एल पी) के अन्तर्गत 2 हजार 500 अतिरिक्त विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा का विस्तार किया जायेगा,

(6) मूक बधिर एवं दृष्टिहीन छात्रों हेतु संचालित निजी विद्यालयों के क्रमोन्नयन के लिये कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा एवं इनके लिये संचालित दो राजकीय एवं छह अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत दृष्टिबाधित छात्रों को एक विशेष साफ्टवेयर की सहायता से अध्ययन करने की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी,

(7) अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं नि:शक्त बालिकाओं को, बोर्ड की कक्षा 8, 10 और 12 की परीक्षाओं में, प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर क्रमश: 25 हजार रुपये, 40 हजार रुपये एवं 50 हजार रुपये का 'इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार' प्रदान किया जायेगा, एवं

(8) राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 10 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आने वाली प्रथम तीन छात्राओं को विदेश में, अगर वह चाहेंगी तो स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जायेगा एवं शिक्षा पर होने चला सम्पूर्ण व्यय 'बालिका शिक्षा फाउंडेशन' द्वारा वहन किया जायेगा।

143. राज्य की अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों को समय पर वेतन चुकारा नहीं होने की शिकायतें प्राय: आती रहती हैं। दूसरी तरफ हमारे ग्रामीण अंचल के राजकीय विद्यालयों में काफी समय से पद रिक्त हैं। अत: मैं घोषणा करता हूं कि अनुदानित शिक्षण संस्थानों में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर कार्यरत अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नियुक्ति हेतु विकल्प दिया जायेगा। इस हेतु एक अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित है, जिससे इन शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें पृथक से निर्धारित हो सकें। इससे ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों

(श्री अशोक गहलोत)

को लगभग 9 हजार शिक्षक एवं कर्मचारी उपलब्ध हो सकेंगे और ग्रामीण अंचल के राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने में सहायता मिल सकेगी।

144. स्कूली शिक्षा की मुख्य धारा में 18 वर्ष तक के सभी छात्रों को लाने के लिये चाइल्ड ट्रैकिंग योजना क्रियान्वित की जायेगी, जिससे ड्राप आउट एवं स्कूल से वंचित छात्रों को चिह्नित कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

युवा मामले एवं खेल :

145. अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ओलम्पिक, एशियाड एवं राष्ट्रकुल खेलों में पदक जीतने वाले राज्य के 12 खिलाड़ियों को राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25 बीघा भूमि नि:शुल्क आबंटित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त हमने यह भी निर्णय लिया है कि ओलम्पिक, एशियाड एवं राष्ट्रकुल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 25 बीघा तक कमाण्ड भूमि आरक्षित मूल्यों पर आबंटित की जाए।

146. राज्य की मूल निवासी सभी महिला खिलाड़ियों को नेशनल इंस्टीट्युट आफ स्पोर्टस, पटियाला से डिप्लोमा करने के लिये 1 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से राज्य सरकार द्वारा स्टाइपंड दिया जायेगा।

147. आगामी वर्ष, अजमेर के हॉकी प्ले ग्राउन्ड में एस्ट्रोटर्फ लगाने का कार्य पूर्ण करवाया जायेगा, जिसकी लागत लगभग 2 करोड़ रुपये आयेगी।

148. कामनवेल्थ गेम्स-2010 की 'क्वींस बैटन रिले' राज्य के विभिन्न जिलों से गुजरेगी। इससे सम्बन्धित व्यवस्थाओं हेतु 50 लाख रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे। आगामी कामनवेल्थ गेम्स में राज्य के जिन सम्भावित प्रतिभागियों को शामिल किया जा सकता है, को विशेष प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार प्रत्येक प्रतिभागी के लिये 1 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायेगी, जिससे इन खिलाड़ियों के खाने-पीने, प्रशिक्षण के खर्चे के साथ-साथ खेल उपकरणों की भी व्यवस्था की जा सके।

149. राज्य के 13 से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के अध्ययनरत बालक बालिकाओं हेतु डे-बोर्डिंग कोचिंग स्कीम के अन्तर्गत राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के प्रशिक्षकों द्वारा भरतपुर में कुश्ती, सीकर में बास्केटबाल, चूरू में

(श्री अशोक गहलोत)

वालीबाल, झुंझुनूं में एथेलेटिक्स, जयपुर में कबड्डी एवं उदयपुर में तीरंदाजी में प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बालक-बालिकाओं को 500 रुपये प्रतिमाह स्टाइपंड दिया जायेगा तथा स्पोर्ट्स किट भी उपलब्ध करायी जायेगी

150. खेल विभाग को आगामी वर्ष युनाइटेड फंड के रूप में 2 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवायी जायेगी जिसको खेलों से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों पर खर्च किया जा सकेगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :

151. राज्य में बायोटेक्नोलोजी की विपुल सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एवं उपलब्ध संसाधनों के समुचित दोहन के उद्देश्य से संशोधित बायोटेक्नोलोजी पालिसी-2010 तैयार की जायेगी।

152. प्रदेश में आम जनता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रचार-प्रसार एवं विज्ञान को लोकप्रिय करने के उद्देश्य से जोधपुर में 2 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से 'उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र' स्थापित किया जायेगा।

153. प्रदेश में वैज्ञानिक क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिये राज्य की उच्च शिक्षण एवं शोध संस्थाओं को वित्तीय सहयोग प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्ष राज्य की समस्याओं से सम्बन्धित अनुसंधान करने के लिये 30 परियोजनाओं का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त 300 विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट्स हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। शोध एवं विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट्स हेतु राज्य सरकार 1 करोड़ 80 लाख रुपये उपलब्ध करायेगी।

154. इसरो के सहयोग से राज्य के विभिन्न भागों में 300 स्वचालित वैदर स्टेशनों की स्थापना की जायेगी, जिन पर लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत आयेगी। इन वैदर स्टेशनों की सूचना का उपयोग फसल बीमा हेतु भी किया जा सकेगा।

155. राज्य सरकार ने इसरो के साथ एक सहमति पत्र निष्पादित किया है, जिसके अन्तर्गत इसरो द्वारा जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में ग्राम सेट, एजू सेट एवं टेलीमेडिसन प्रोजेक्ट्स का संधारण किया जायेगा और जल संसाधन सूचना प्रणाली विकसित करने हेतु तकनीकी सहयोग भी दिया जायेगा, जिसकी कुल लागत लगभग 14 करोड़ रुपये है। इसरो के

योगदान को देखते हुए राज्य सरकार ने जोधपुर स्थित इसरो के रिमोट सेंसिंग सेंटर के लिये नि:शुल्क भूमि का आबंटन किया है।

उच्च शिक्षा :

156. राज्य के उपखंड मुख्यालय पर स्थापित सभी महाविद्यालयों में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय प्रारम्भ करने की योजना है, जिसके क्रम में आगामी वर्ष में 13 उपखंडों में विज्ञान संकाय तथा 6 उपखंडों में वाणिज्य संकाय प्रारम्भ किये जायेंगे। इस पर 2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आयेगा।

157. आगामी वर्ष राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक के 10 एवं स्नातकोत्तर के भी 10 नये विषय प्रारम्भ किये जायेंगे, जिन पर 1 करोड़ रुपये का खर्चा होगा1

158. राज्य के 8 राजकीय विधि महाविद्यालयों हेतु भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा एवं नवीन पदों का सृजन किया जायेगा, जिस पर 7 करोड़ 73 लाख रुपये का भार आयेगा। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में राजकीय महाविद्यालयों की प्रयोगशालाओं के लिये नये उपकरण क्रय करने हेतु 4 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

159. राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में छात्र संख्या 4 हजार से अधिक होने से इस महाविद्यालय को विभक्त कर एक अलग राजकीय कला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

160. वर्तमान में संचालित राजकीय स्कूल आफ आर्टस एवं राजकीय संगीत संस्थान के भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए इसे जयपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जायेगा एवं इन संस्थाओं के लिये नये भवनों का निर्माण प्राधिकरण द्वारा करवाया जायेगा।

161. विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों के भवनों की मरम्मत एवं इनके पुनरुद्धार हेतु आगामी वर्ष 5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, तथा इतनी ही राशि राजकीय महाविद्यालय विकास समिति कोष द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

162. महाविद्यालय शिक्षा के अन्तर्गत संचालित अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को, अनुदानित स्कूल शिक्षा की भांति ही ग्रामीण राजकीय महाविद्यालयों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने का विकल्प दिया जायेगा।

(श्री अशोक गहलोत)

163. जैसलमेर में स्थित महिला महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।

तकनीकी शिक्षा :

164. केन्द्र सरकार की स्किल मिशन स्कीम के अन्तर्गत राज्य के नागौर, जालौर, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, हनुमानगढ़, झुंझुनूं, करौली, टोंक एवं बांसवाड़ा जिलों में नये पालिटेक्निक महाविद्यालय स्थापित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त राज्य में संचालित 7 राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तथा मार्डन आफिस मैनेजमेंट के पाठयक्रम स्व-वित्तपोषित आधार पर प्रारम्भ किये जायेंगे।

165. राज्य में अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर एवं झालावाड़ जिले में संचालित 7 राजकीय अनुदानित इंजीनियरिंग कालेजों में आधारभूत सुविधायें विकसित करने हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को 2 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवायी जायेगी।

166. राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों तथा अभियांत्रिकी पालिटेक्निक महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए AICTE के वेतनमान लागू किये जायेंगे।

167. राजकीय महिला पालिटेक्निक महाविद्यालय सांगानेर की छात्राओं हेतु छात्रावास का निर्माण भी करवाया जायेगा।

ठीक है। इसके लिये तो आप कम से कम ताली बजायें ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने ताली बजा भी दी और आपको पानी पीने की छूट भी दे दी।

श्री अध्यक्ष: यह अधिकार आपने कब से ले लिया? यह अधिकार छूट देने का आपने कब से ले लिया?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपका विशेष ध्यान रखा गया है फिर भी आपके पक्ष के लोग ताली बजा ही नहीं रहे हैं। क्या कारण है?

सूचना प्रौद्योगिकी (IT) :

168. शासन सचिवालय की समस्त गतिविधियों के कम्प्युटराइजेशन की एक महत्वाकांक्षी योजना 'ई-सचिवालय' की क्रियान्विति प्रारम्भ की जायेगी।

(श्री अशोक गहलोत)

169. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा तैयार की गई 'ई-संचार' प्रणाली, पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में, जयपुर जिले में लागू की जायेगी।

उद्योग :

170. राज्य के तीव्र औद्योगिक विकास हेतु नई औद्योगिक एवं निवेश नीति का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। आशा की जाती है कि इस नई नीति के माध्यम से राजस्थान में उद्योग व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा। राज्य में आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए एवं निजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से एक 'Rajasthan Infrastructure Development Act' लाया जायेगा। इन कार्यों हेतु राज्य सरकार आवश्यक संसाधन उपलब्ध करायेगी।

171. सीतापुरा, जयपुर के औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध, यह भी आपमें ही आता है, 42 एकड़ के भूखण्ड को उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रगति मैदान, नई दिल्ली की तर्ज पर निजी सहभागिता से विकसित किया जायेगा।

172. राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम, राज्य सरकार का वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ उपक्रम है। इस निगम की 10 प्रतिशत अंश पूंजी का विनिवेश करना प्रस्तावित है, जिससे राज्य सरकार को लगभग 100 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने की सम्भावना है।

173. केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली व मुंबई के बीच 'बहुउद्देशीय फ्रेट कॉरीडोर' के विकास की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है। इस योजना के साथ ही 'दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कारीडोर' की परियोजना भी बनायी गयी है, जिसका लगभग 40 प्रतिशत भाग राज्य में से गुजरेगा जिसका लाभ हमें मिलेगा।

174. हस्तशिल्पियों, दस्तकारों एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए 'स्वावलंबन योजना' प्रारम्भ की जायेगी। इस योजना में राज्य सरकार द्वारा ऋण पर 2 प्रतिशत का ब्याज अनुदान के रूप में दिया जायेगा। आगामी वर्ष योजना के क्रियान्वयन हेतु 2 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है तथा लगभग 3 हजार युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

175. करौली जिला पत्थर के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। जिले में,

(श्री अशोक गहलोत)

रोजगार के साधन विकसित करने की दृष्टि से मासलपुर कस्बे में 'स्टोन मार्ट' स्थापित करना प्रस्तावित है।

खनिज एवं पेट्रोलियम :

176. राज्य में कच्चे तेल के उत्पादन का शुभारम्भ माननीय प्रधान मंत्रीजी की उपस्थिति में अगस्त, 2009 में बाड़मेर के मंगला क्षेत्र में प्रारम्भ हुआ। राज्य में रिफाइनरी की स्थापना हेतु वैज्ञानिक अध्ययन के लिए पूर्व केन्द्रीय पेट्रोलियम सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। समिति ने सभी संबंधित संस्थाओं से विचार-विमर्श किया है तथा बाड़मेर का दौरा भी किया है। मैं स्वयं इस संबंध में केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्रीजी के निरंतर सम्पर्क में हूं। राज्य में रिफाइनरी की स्थापना हमारी प्राथमिकताओं में है और हम इस हेतु प्रयत्नशील हैं।

177. राज्य में कोल बेड मिथेन के दोहन की विपुल सम्भावना है। बीकानेर जिले में इस दृष्टि से R&D Project प्रारम्भ किया जायेगा, जिसके सफल होने पर हमें सस्ते दामों पर गैस उपलब्ध हो सकेगी। आगामी वर्ष निजी क्षेत्र के लगभग 300 करोड़ रुपये के निवेश से राज्य में पेट्रोलियम, गैस तथा कोल बेड मिथेन के 30 नये कुए खोदे जायेंगे।

178. राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इसका बिजनस प्लान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत आइल रिफाइनिंग, पाइप लाइन ट्रांसपोर्ट, गैस रिटेलिंग, सिटी गैस डिस्ट्रीब्युशन, आइल एक्सप्लोरेशन तथा आइल फील्ड सपोर्ट सर्विसेज को शामिल किया गया है। इस कारपोरेशन को और सशक्त बनाने के लिए RSMML द्वारा इसमें 25 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जायेगा।

179. राज्य के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तथा उदयपुर जिलों में सोना (Gold), मैंगनीज आदि अनेकों बहुमूल्य खनिज उपलब्ध हैं। इन जिलों में टी एस पी क्षेत्रों में मेजर मिनरल्स की खोज व खनन का कार्य अब केवल RSMML द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु RSMML संयुक्त उपक्रम भी बना सकेगा, जिसमें RSMML की हिस्सेदारी कम से कम 51 प्रतिशत होगी। खनन से होने वाले लाभ का 20 प्रतिशत स्थानीय क्षेत्रों के विकास पर खर्च होगा तथा कम से कम 50 प्रतिशत स्थानीय निवासियों को रोजगार देना आवश्यक होगा।

कटारिया साहब, इसमें तो आप भी ताली बजायें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): चित्तौड़ और उदयपुर डिवीजन के बारे में जब भी बात आती है तो मैं बराबर आपका साथ देता हूं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): धन्यवाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अगर आप उसका हक मारते हो तो उसका विरोध भी करता हूं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): धन्यवाद आपका।

180. उच्चतम न्यायालय द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला में अवैध खनन एवं प्रदूषण को लेकर लगातार चिंता प्रकट की जा रही है। अतः हमने तय किया है कि राज्य में खनिजों का अवैध खनन तथा परिवहन रोकने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर इलेक्ट्रोनिक सर्विलेंस उपकरण लगाये जायेंगे। इसके साथ ही अवैध खनन को रोकने के लिए कानून में आवश्यक संशोधन करते हुए, अवैध खनन एवं परिवहन में काम आने वाले उपकरणों एवं वाहनों को जब्त किया जायेगा। अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण रखते हुए, वैध खनन को योजनाबद्व तरीके से बढ़ावा दिया जायेगा, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार देना सुनिश्चित किया जा सके।

परिवहन :

181. राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों और घायलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे माननीय सदस्यगणों सहित पूरा प्रदेश अत्यन्त व्यथित है, चिंतित है। मेरा मानना है कि राज्य सरकार को सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। गत वर्ष की बजट घोषणा के अनुसरण में, राज्य में 'रोड सेफ्टी काउंसिल' का गठन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में सुझाव देने के लिए अभी हाल ही में अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है। समिति द्वारा तीन माह में प्रस्तावित कार्य योजना राज्य सरकार को सौंपी जायेगी, जिस पर विचार कर सरकार सभी आवश्यक कदम उठायेगी। यह मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं।

182. वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग को 60 जीपें, 10 इंटरसेप्टर एवं 33 ब्रेथ एनेलाइजर्स

(श्री अशोक गहलोत)

उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि वाहन चालकों पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा सके।

183. प्राय: यह देखा गया है कि अधिकतर सड़क दुर्घटनायें वाहन चालक के अकुशल होने एवं लापरवाही अथवा गलती के कारण घटित होती हैं। इनको रोकने के लिए कुशल चालक तैयार करना आवश्यक है। अत: चालक की चालन क्षमता का परीक्षण करने के लिए छह जिला परिवहन कार्यालयों में, जहां ड्राइविंग ट्रेक्स नहीं हैं, इनका निर्माण करवाया जायेगा। जयपुर में ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों की अधिक संख्या देखते हुए एक अतिरिक्त ड्राइविंग ट्रेक का निर्माण कराया जायेगा। ड्राइविंग लाइसेंस देने की प्रक्रिया को अधिक वस्तुपरक व पारदर्शी बनाने हेतु सभी संभागीय मुख्यालयों पर सिमुलेटर्स स्थापित किये जायेंगे। वाहन एवं वाहन चालकों दोनों की नियमित फिटनेस की जांच भी सुनिश्चित की जायेगी।

184. अन्तरराष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में राज्य के पदक विजेताओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वाहनों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। नि:शक्तजनों की सभी सात श्रेणियों को, अंधता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्त, कम श्रवण शक्ति, चलन नि:शक्ता, मानसिक मंदता एवं मानसिक रुग्णता से ग्रसित व्यक्तियों को निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करने की मैं घोषणा करता हूं। अंधता, मानसिक मंदता एवं मानसिक रूग्णता से प्रभावित नि:शक्त व्यक्तियों के साथ यात्रा करने वाले एक व्यक्ति को भी रियायती दरों पर यात्रा करने की सुविधा होगी। नि:शुल्क एवं रियायती यात्रा सुविधा के पेटे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्ष 20 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

185. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के डिपो सभी जिला मुख्यालयों पर संचालित करने का निर्णय लिया गया है। अत: प्रतापगढ़, जैसलमेर, सवाई माधोपुर, करौली एवं राजसमन्द में नये डिपो स्थापित किये जायेंगे।

स्थानीय निकाय एवं शहरी विकास :

186. सभी शहरों एवं नगरों के एकीकृत, संतुलित एवं नियोजित विकास हेतु 'राज्य शहरीकरण आयोग' का गठन किया जाएगा। यह आयोग

शहरीकरण से जुडे हुए सभी विषयों का विस्तृत अध्ययन कर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, ताकि आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार हेतु दीर्घकालीन योजना बनाई जा सके।

187. जयपुर के लिए नए बिल्डिंग रेग्युलेशंस बनाए गए हैं, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइक्लिंग एवं सोलर एनर्जी आदि के प्रावधानों की पालना नहीं करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। बिल्डिंग रेग्युलेशंस में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने की बाध्यता भी रखी गई है। इसके अनुरूप प्रदेश के सभी शहरों के लिए माडल बिल्डिंग रेग्युलेशंन्स बनाए जाकर जारी किए जाएंगे।

188. जयपुर में आई टी टावर्स निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से विकसित करने की योजना है। शहर की 120/160 फीट या इससे अधिक चौड़ाई की सड़क पर, 10 हजार वर्ग मीटर वाले भूखण्ड पर आई टी टावर विकसित किए जा सकेंगे। प्रथम दो आई टी टावर बनाने के लिए फ्लोर एरिया रेशो की पाबन्दी नहीं होगी एवं भू रूपान्तरण नि:शुल्क किया जाएगा। इनका उपयोग आई टी एवं आई टी से सम्बन्धित परियोजनाओं, प्रशिक्षण केन्द्रों एवं विक्रय केन्द्रों हेतु किया जा सकेगा।

189. गत बजट प्रस्तुत करते समय मैंने जयपुर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट लागू करने का उल्लेख किया था। इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है तथा 'जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन' का गठन भी कर दिया गया है। राज्य सरकार के अंशदान के पेटे आगामी वर्ष में 179 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। मैं आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार के सहयोग से यह परियोजना निर्धारित समय सीमा में पूरी हो सकेगी।

190. नगरीय निकायों को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के लिए 400 करोड़ रुपए के 'राजस्थान अरबन डवलपमेंट फण्ड' की स्थापना की गई है। इस फण्ड में राज्य सरकार 150 करोड़ रुपए का अंशदान देगी। इसके अतिरिक्त इस फण्ड हेतु शहरी स्थानीय निकाय अपने स्वयं के संसाधनों से अथवा वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करके 250 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएंगे।

191. भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यासों एवं राजस्थान आवासन मण्डल की जमीनों के

(श्री अशोक गहलोत)

विक्रय से प्राप्त राशि में से 15 प्रतिशत राशि नगरीय निकायों को अनिवार्य रूप से हस्तांतरित हो। यह सुनिश्चित किया जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नियम तो है लेकिन देते नहीं हैं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अब इसीलिए लिखा है, अनिवार्य रूप से हस्तांतरित होगा। यह सुनिश्चित कर लेंगे हम। आप खुद देखेंगे कि वास्तव में इस बार लागू होगा।

192. शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष, सभापति, महापोर पद के चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से करवाए गए, जिसका प्रदेशवासियों ने भी स्वागत किया है। नगर निकायों को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से नगर पालिका अधिनियम, 2009 में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

193. 'नगरीय विकास कर' को सरल एवं तार्किक बनाने हेतु भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर यह कर अधिरोपित करना तथा सेल्फ असेसमेंट प्रणाली के माध्यम से कर अदायगी की सुविधा देना प्रस्तावित है। इससे करदाता को सुविधा होगी और नगर निकायों के संसाधनों में भी वृद्धि होगी।

194. केन्द्र सरकार द्वारा कच्ची बस्तियों की समस्या का निराकरण करने के उद्देश्य से 'राजस्थान आवास योजना' प्रारम्भ की गई है। हमने कच्ची बस्तियों का पुन: सर्वे करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए आप सबको जानकारी है, 15 अगस्त, 2009 की कट आफ डेट रखी गई है। सर्वे के पश्चात् चिह्नित परिवारों को 'राजीव आवास योजना' के अन्तर्गत लाभांवित किया जाएगा।

195. केन्द्र सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना' के अन्तर्गत चम्बल नदी को स्वच्छ रखने हेतु कोटा शहर के लिए 149 करोड़ 59 लाख रुपए की योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें 44 करोड़ 88 लाख रुपए राज्य का हिस्सा है। यह परियोजना आगामी 3 वर्षों में क्रियान्वित की जाएगी।

196. गृह मंत्रालय द्वारा राज्य को शहरी क्षेत्रों में अग्निशमन केन्द्रों को सुदृढ़ करने के लिए 17 करोड़ 8 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे तथा 4 करोड़ 27 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा अपने अंशदान के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आगामी दो वर्षों में फायर टेंडर तथा अन्य उपकरण क्रय किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जयपुर एवं जोधपुर हेतु 'एरियल हाइड्रोलिक लैडर प्लेटफार्म' की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि बहुमंजिला इमारतों में अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें।

(श्री अशोक गहलोत)

197. गत दिनों, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मौजूदगी में उस वक्त में सदन में प्रश्नकाल के दौरान पाली से आने वाले हमारे माननीय सदस्य द्वारा जो प्रश्न उठाया गया था, उस दरम्यान विकास विभाग की मध्यम एवं अल्प आय वर्ग आवास योजना के अंतर्गत मूल ऋण राशि से अधिक ब्याज वसूलने का मुद्दा उठाया गया था साथ में। मेरे द्वारा सदन में कहा गया था कि ब्याज, मूल से अधिक नहीं होगा। जबकि पिछली गवर्नमेंट ने ब्याज मूल से अधिक वसूल किया था तो भी मैंने कहा मेरे वक्त में यह नहीं होगा। अब मैं घोषणा करता हूं कि 31 मार्च, 2011 तक बकाया ऋण चुकाने पर पूरा ब्याज माफ कर दिया जाएगा।

198. राज्य के शहरों एवं कस्बों में रेलवे ओवर-ब्रिज एवं अण्डर-ब्रिज की कई स्थानों से निरन्तर मांग आ रही है। अत: इनका सर्वे कराने के पश्चात् चरणबद्ध रूप से रेलवे के सहयोग से ऐसे ब्रिज निर्मित किए जाएंगे।

पर्यटन :

199. पर्यटन हेतु वर्ष 2010-11 में योजनामद में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बिचून-जयपुर, बस्सी चित्तौड़गढ़, भूरी पहाड़ी-सवाईमाधोपुर, अलसीसर-झुन्झुनूं और झालों का गुढा-उदयपुर गांवों में 50-50 लाख रुपए की लागत के कार्य करवाए जाएंगे।

200. राज्य में 'एडवेंचर ट्युरिज्म' को बढ़ावा दिया जाएगा जिसके अन्तर्गत डेजर्ट सफारी, अन्तरराष्ट्रीय पतंग एवं बैलून महोत्सव आयोजित किए जाएंगे।

201. घाट की गूणी व आमेर के किले को सांस्कृतिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के पर्यटन के प्रचार-प्रसार हेतु 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा।

202. जैतसर तालाब, बूंदी के अनुपम सौन्दर्य को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है।

कला एवं संस्कृति :

203. कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में ख्यातनाम कलाकारों को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस हेतु विभिन्न संस्थाओं को आगामी वर्ष एक करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

देवस्थान :

204. जस्टिस चौपड़ा आयोग की अंतरिम सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मेलों व उत्सवों के दौरान यात्रियों की सुरक्षा एवं उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु मंदिर निधि से गोगामेड़ी में 75 लाख रुपए, चारभुजा गढ़बोर में 25 लाख रुपए एवं अन्य सभी मंदिरों में 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

205. मंदिरों के कुशल प्रबन्धन व लोक प्रन्यासों के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु देवस्थान विभाग का पुनर्गठन व सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त देवस्थान विभाग के उदयपुर स्थित आयुक्त कार्यालय के नए भवन के निर्माण हेतु मंदिर निधि से 1 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।

206. राजकीय आत्मनिर्भर मंदिरों में कार्यरत निधि कार्मिकों के सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन कर इन्हें राज्य कर्मचारियों के समकक्ष वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस हेतु मंदिर निधि से आगामी वर्ष 2 करोड़ 85 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है।

207. राज्य में विभिन्न धार्मिक एवं अन्य स्थलों पर मेले आयोजित किए जाते रहे हैं, जिनमें लाखों की संख्या में आमजन एवं श्रद्धालु भाग लेते हैं। गत समय में मेहरानगढ़, जोधपुर, हिमाचल प्रदेश के एक मंदिर में, अभी हाल ही में प्रतापगढ़, उत्तरप्रदेश में घटी दुर्घटनाओं की माननीय सदस्यों को जानकारी है, जिनमें काफी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अत: ऐसे आयोजनों एवं मेलों की सुचारू व्यवस्था एवं आम जन की सुरक्षा, सेफ्टी और सिक्युरिटी सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 'मेला आथोरिटी' का गठन करना प्रस्तावित करता हूं।

गृह :

208. जयपुर तथा जोधपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर करने की दृष्टि से लम्बे समय से मांग की जाती रही थी। उसको देखते हुए 'पुलिस कमिश्नर प्रणाली' लागू करने की मैं घोषणा करता हूं। इस नई व्यवस्था के अन्तर्गत पुलिस को अतिरिक्त अधिकार दिए जाएंगे।

209. गत वर्ष कोटा में हैंगिंग ब्रिज के गिरने, जयपुर में आई ओ सी गोदाम में हुए अग्निकाण्ड एवं मंडोर एक्सप्रेस के रेल पटरी से उतरने के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसका हम सभी को बहुत

(श्री अशोक गहलोत)

दु:ख है। इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए आर ए सी के सहयोग से स्टेट डिजास्टर रेस्पोंस फोर्स गठित की जाएगी जिसमें 25 प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मियों को शामिल किया जाएगा एवं आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। इस दल का मुख्यालय कोटा रखा जाएगा तथा यह व्यवस्था की जाएगी कि जहां भी इसकी जरूरत पड़े वहां इसको तुरन्त भेजा जा सके।

210. आगामी वर्ष कांन्स्टेबलों की सेवानिवृति से रिक्त होने वाले लगभग 2 हजार 300 पदों पर और भर्ती की जाएगी। यह पिछली भर्ती के अलावा है।

211. राज्य में सभी जिलों में महिला पुलिस थानों की स्थापना करने की योजना है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): पांच हजार की भी भर्ती नहीं हुई है, साहब।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): उस पर मैं आ रहा हूं। राज्य में सभी जिलों में महिला पुलिस थानों की स्थापना करने की योजना है। वर्तमान में 19 पुलिस जिलों में महिला पुलिस थाने नहीं हैं, जिनमें चरणबद्ध रूप से थाने खोले जाएंगे। आगामी वर्ष में चूरू, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, नागौर एवं जोधपुर ग्रामीण में 5 नये महिला पुलिस थाने खोलना प्रस्तावित है।

212. जयपुर विकास प्राधिकरण में आगामी वर्ष 1 विशेष थाना स्थापित किया जाएगा ताकि प्राधिकरण के क्षेत्र में जमीनों से संबंधित विवादों एवं अन्य अभियोगों पर त्वरित कार्यवाही की जा सके। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष नीमराना-अलवर, नागणा-बाड़मेर, सूडसर-बीकानेर में नये थाने खोले जाएंगे तथा भिवाड़ी फेज तृतीय एवं भीमगंज-भीलवाड़ा की पुलिस चौकियों को थानों में क्रमोनत किया जाएगा।

213. एंटी-टेरेरिस्ट स्क्वाड, इमरजेंसी रेस्पोंस टीम, एंटी-सेबोटेज चैक और बम डिस्पोजल स्क्वाड में कार्यरत कर्मियों का कार्य जोखिम भरा होने के कारण इनके लिए विशेष बीमा योजना लागू की जाएगी, जिसकी प्रीमियम राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

214. पुलिस विभाग में कार्यरत सहायक उप-निरीक्षकों एवं निरीक्षकों को कामन यूजर ग्रुप के अन्तर्गत मोबाइल फोन के खर्चे के पुनर्भरण की सुविधा प्रदान की जाएगी।

215. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर राज्य में राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल की एक बटालियन स्थापित करना मैं प्रस्तावित करता हूं।

216. राज्य में जेल सुधार हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए जेलों में सुधार किये जाएंगे। जिला कारागृह झालावाड़ के अधूरे कार्यों को पूर्ण करवाने के लिए आगामी वर्ष 1 करोड़ 75 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसी प्रकार जिला कारागृह भवन करौली में जल आपूर्ति एवं अन्य कार्यों हेतु 1 करोड़ 25 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

217. आगामी वर्ष प्रहरियों के 300 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।

न्याय प्रशासन :

218. जोधपुर में माननीय उच्च न्यायालय एवं ज्युडिशियल अकादमी के नये भवनों के निर्माण हेतु आगामी वर्ष क्रमश: 20 करोड़ रुपये एवं 15 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

219. मकान मालिक व किरायेदारों के हितों का ध्यान रखते हुए हमारे पूर्व शासनकाल में किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 पारित किया गया था। अब यह प्रस्तावित है कि आगामी वर्ष जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर में स्वतंत्र रेंट ट्रिब्युनल एवं अपीलीय रेंट ट्रिब्युनल की स्थापना की जाए।

220. पारिवारिक कानून के अन्तर्गत मुकदमों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए आगामी वर्ष 7 पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की जाएगी।

राजस्व :

221. पिछले बजट में मैंने उपनिवेशन क्षेत्र के कृषकों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उपनिवेशन क्षेत्र में दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 तक बकाया किश्तों के एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज की छूट दी थी। इस सुविधा के उत्साहजनक परिणामों को देखते हुए तथा कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तक बकाया किश्तें एकमुश्त चुकाने पर ब्याज माफी की घोषणा एक बार और करता हूं।

222. द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों की विधवाओं को राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में 800 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन दी

(श्री अशोक गहलोत)

जा रही है। आगामी वर्ष से इस पेंशन राशि को बढ़ाकर 1 हजार 200 रुपये प्रति माह किया जाएगा। इससे लगभग 7 हजार 500 पूर्व सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों की विधवाओं को लाभ मिलेगा।

223. राजस्व अधिकारियों के कार्यालय भवन काफी पुराने एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं तथा अनेक राजस्व अधिकारियों के पास राजकीय वाहन उपलब्ध नहीं हैं। आगामी वर्ष 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है जिसमें से 15 करोड़ रुपये भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव पर तथा 10 करोड़ रुपये वाहनों के क्रय पर खर्च किये जाएंगे।

224. अलवर में पुराने कलेक्ट्रेट को स्थानान्तरित कर नये मिनि सचिवालय का निर्माण प्रस्तावित है। पुराने परिसर में 19 विभागों के कार्यालय संचालित होंगे जो अभी किराये के भवनों में चल रहे हैं।

225. सीमावर्ती क्षेत्रों में भूमि के विक्रय के पंजीकरण में पाई गई अनियमितताओं को देखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में भूमि के विक्रय के दस्तावेजों के पंजीयन के समय, दस्तावेजों को निष्पादित करने वाले दोनों पक्षों की उपस्थिति उप-पंजीयक के समक्ष अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु पंजीयन अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

226. कानूनी प्रावधानों के विपरीत दस्तावेजों के पंजीयन को रोकने के लिए एक स्पष्ट लोकनीति परिभाषित करना अनिवार्य है। अत: पंजीयन अधिनियम में तदनुसार संशोधन किया जाएगा ताकि लोकनीति के विरुद्ध पंजीयन पर रोक लगाई जा सके। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में बाहर के लोगों द्वारा भूमि के क्रय अथवा अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों की कृषि भूमियों की अन्य जाति के लोगों के पक्ष में होने वाली रजिस्ट्री को रोकने आदि की अधिकारिता प्राप्त होगी।

सामान्य प्रशासन :

227. राज्य सरकार के स्वामित्व की लगभग 11 हजार सम्मपत्तियां हैं, जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार ने नजूल सम्पत्ति निस्तारण नियम, 1971 के तहत इन सम्पत्तियों को निस्तारण करने का निर्णय लिया है। निस्तारण से जो राशि प्राप्त होगी, उसमें से प्रशासनिक खर्च कम करते हुए, शुद्ध राजस्व का 50 प्रतिशत हिस्सा संबंधित स्थानीय निकायों एवं पंचायत समितियों को, उनके अधीनस्थ क्षेत्र में विकास कार्यों हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

(श्री अशोक गहलोत)

स्वतंत्रता सेनानी:

228. देश की आजादी में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को ध्यान में रखते हुए इनकी पेंशन 8 हजार रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति माह करने की मैं घोषणा करता हूं।

पत्रकार कल्याण :

229. पत्रकारों की आवासीय समस्याओं के समाधान के लिए जयपुर के समान ही अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में योजना बनाकर प्राथमिकता से रियायती दरों पर भूखण्ड अथवा मकान आबंटित किये जाएंगे।

230. साप्ताहिक, पाक्षिक सहित सभी समाचार पत्रों की सरकारी विज्ञापनों की दरों में पिछला संशोधन वर्ष 2002 में किया गया था। अत: हमने निर्णय लिया है कि इन दरों की समीक्षा कर इनका पुन: निर्धारण किया जाए।

कर्मचारी कल्याण :

231. राज्य सरकार द्वारा वेतन उच्चीकरण एवं विसंगति निराकरण समिति का गठन किया गया था, कर्मचारियों के लिए, जिसका कार्य लगभग समाप्ति पर है और इस माह के अंत तक प्रतिवेदन प्राप्त हो जाएगा। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार विचार कर आवश्यक निर्णय लेगी।

232. शासन सचिवालय में मनोरंजन हाल, पुस्तकालय भवन एवं नये स्टोर का निर्माण कार्य कराने की योजना है। इन कार्यों पर लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

कर प्रस्ताव ......(व्यवधान)......

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सीवेजर प्रोजेक्ट जो आलरेडी पहले मंजूर है उसके लिए और एक शुगर फैक्टर। इन दोनों के लिए कोई बात आई नहीं, कृपा करो। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 233. माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2009-10 की शुरुआत में वैश्विक मंदी का असर अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में देखने को मिला। अपर्याप्त मानसून ने आर्थिक कठिनाइयों को और अधिक बढ़ा दिया। परन्तु केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों और राज्य सरकार के कुशल वित्तीय प्रबन्धन के कारण हमने विश्वव्यापी मंदी के दौर का मजबूती से सामना किया है। इसी के कारण मंदी

(श्री अशोक गहलोत)

का सबसे कम असर हमारे देश में महसूस हुआ है। मंदी होते हुए भी वाणिज्यिक कर विभाग ने इस वित्तीय वर्ष के 11 माह में गत वर्ष की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत कर राजस्व अधिक अर्जित किया है जो तुलनात्मक रूप से देश के अधिकांश राज्यों से अधिक है। इस पृष्ठभूमि के साथ, मैं वर्ष 2010-11 के कर प्रस्तावों को आपकी अनुमति से सदन के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

234. अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री महोदय ने सम्पूर्ण देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू करना प्रस्तावित किया है। जी एस टी 1 अप्रैल, 2011 से लागू होने की उम्मीद है। इस व्यवस्था से एक सरलीकृत और पारदर्शी कर व्यवस्था लागू हो सकेगी, जिससे उद्योग-व्यापार एवं आम उपभोक्ता को भी राहत मिलेगी। इसे लागू करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी में विचार-विमर्श हो रहा है। राज्य के उद्योग-व्यापार के प्रतिनिधि अपना पक्ष इसके प्रभावी implementation में रख सकें, इस हेतु मैं उद्योग मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय कमेटी बनाना प्रस्तावित करता हूं।

235. बजट के कर प्रस्तावों में उद्योग-व्यापार, किसान तथा समाज के सभी वर्गों की पूरी भागीदारी हो, इस दृष्टि से मैंने राज्य के बजट के सभी स्टेक होल्डर्स से गहन विचार-विमर्श किया है। इनसे प्राप्त सभी सुझावों का भली-भांति अध्ययन करने के बाद मैंने अपने कर प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया है। गत वर्ष के बजट में मैंने राज्य के उद्योग एवं व्यापारी वर्ग के साथ व्यवहार में विश्वास से शुरुआत करने की सोच प्रकट की थी एवं इसी के अनुरूप रेवेन्यू कलेक्शन की प्रक्रिया को सरल और व्यावहारिक बनाने हेतु अनेक निर्णय लिये थे। इस दिशा में अब और आगे बढ़ने की आवश्यकता है ताकि व्यापारियों को सरकारी दफ्तरों में कम से कम जाना पड़े और उन्हें सम्मानपूर्वक कर जमा कराने में कोई परेशानी न हो।

प्रक्रिया का सरलीकरण :

236. व्यापार-उद्योग को राहत प्रदान करने के लिए तिमाही रिटर्न का व्यापक सरलीकरण किया जा रहा है तथा इसके साथ जमा कराये जाने वाले 9 में से 6 दस्तावेजों को हटाया जाना प्रस्तावित है। अब तिमाही रिटर्न के साथ केवल चालान एवं दो अन्य दस्तावेज जमा कराने होंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

237. ऐसे व्यापारी, जो आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं अथवा कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प लेते हैं, उन्हें वर्तमान में वार्षिक रिटर्न वैट-10ए एवं वैट-11 दोनों जमा कराने होते हैं। अब ऐसे व्यापारियों को वैट-10ए, जो बहुत विस्तृत है, को जमा कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे लगभग 70 हजार व्यापारियों को राहत मिलेगी।

238. मैंने गत बजट में राज्य के बाहर से आयात किये जाने वाले सभी कर योग्य माल के स्थान पर मात्र 38 प्रकार की वस्तुओं के लिए फार्म वैट-47 की अनिवार्यता रखी थी। मैं इनमें से अब 8 और वस्तुओं- गुड़, माचिस, सीमेंट से बने सभी सामान, पटाखे, अखाद्य तेल, बिनोला, फोटोग्राफी का सामान, आडियो और वीडियो कैसेट्स को इस दायरे से बाहर करना प्रस्तावित कर रहा हूं।

239. वर्तमान में 5 लाख रुपये से अधिक टर्न ओवर वाले व्यवहारी के लिए वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन अनिवार्य है। इस सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाना मैं प्रस्तावित करता हूं। इससे लगभग 11,000 व्यापारियों को पंजीयन दायित्व से मुक्ति मिलेगी।

240. व्यापारियों की अपीलों का निस्तारण त्वरित गति से हो, इस दृष्टि से पिछले वर्ष मैंने एक वर्ष से अधिक की सभी पुरानी अपीलों का निस्तारण 31 मार्च, 2010 तक करने का निर्णय लिया था। अब इस दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए मैं प्रस्तावित करता हूं कि भविष्य में व्यवहारी द्वारा दायर प्रथम अपील का निर्णय एक वर्ष की अवधि में अनिवार्यत: कर दिया जायेगा।

241. उद्योग-व्यापार एवं कर सलाहकारों की सर्वसम्मत मांग को स्वीकार करते हुए मैं आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख को 31 दिसम्बर से बढ़ाकर 31 जनवरी किया जाना प्रस्तावित करता हूं।

242. सैल्फ असेसमेंट व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत है। मेरे ध्यान में लाया गया है कि तिमाही रिटर्न के जमा कराने में एक-दो दिन की देरी होने पर भी व्यापारियों को सैल्फ असेसमेंट से बाहर कर दिया जाता है। सैल्फ असेसमेंट का अधिक से अधिक व्यापारियों को लाभ मिल सके, अत: मैं प्रस्तावित करता हूं कि तिमाही रिटर्न जमा कराने में देरी होने के बावजूद व्यापारी द्वारा वार्षिक रिटर्न अथवा आडिट रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने पर उसे सैल्फ असेसमेंट के लिए पात्र माना जायेगा और बाहर नहीं किया जायेगा।

(श्री अशोक गहलोत)

243. वर्तमान में सभी व्यापारियों को तिमाही और वार्षिक, दोनों रिटर्न देने आवश्यक हैं। छोटे व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से मैं प्रस्तावित करता हूं कि वे व्यापारी, जिनका गत वर्ष में वार्षिक कर दायित्व 20 हजार रुपये या इससे कम था, अब उन्हें तिमाही रिटर्न नहीं भरनी होगी और केवल वार्षिक रिटर्न ही जमा करानी होगी। इससे लगभग 20,000 व्यापारियों को लाभ मिलेगा।

244. उद्योग व्यापार जगत की एक प्रमुख समस्या यह है कि उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रिफण्ड तब तक नहीं मिलता, जब तक जमा हुए कर का सत्यापन विभाग द्वारा नहीं कर लिया जाता। इससे उनकी कार्यशील पूंजी ब्लाक हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए मैं प्रस्तावित करता हूं कि व्यापारी द्वारा बैंक गारंटी उपलब्ध कराने पर प्रोविजनल भुगतान तुरन्त कर दिया जायेगा।

245. विभाग एवं व्यापारी के बीच में विश्वास की परम्परा कायम रहे इसके लिए मैं प्रस्तावित करता हूं कि ई-रिटर्न फाइल करने वाले व्यापारी, जिन्होंने गत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत कर अधिक जमा कराया है, उन्हें पिछले वर्ष में दिये गये आई टी सी रिफण्ड की 50 प्रतिशत तक राशि प्रोविजनल रिफण्ड के रूप में दे दी जायेगी।

246. आई टी सी के सत्यापन किये जाने में विभाग को समय लगता है और मांग कायम कर दी जाती है। व्यापारी को ऐसी मांग की वसूली का भय न रहे, अतः ऐसी मांग की वसूली को सत्यापन नहीं होने तक स्थगित रखा जाना प्रस्तावित है। इससे सभी व्यापारियों को राहत मिलेगी।

247. व्यापारियों से रिफण्ड के भुगतान में विलम्ब की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। रिफण्ड के लिए उन्हें कार्यालय में न आना पड़े, अतः यह व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है कि जिन व्यापारियों के खाते कम्प्यूटरीकृत (सीबीएस) बैंक ब्रांच में हैं, उनका रिफण्ड सीधे ही उनके खाते में जमा करा दिया जायेगा।

मुझे विश्वास है कि उक्त प्रस्तावों से व्यापारियों की आई टी सी सम्बन्धित अधिकांश समस्याएं समाप्त हो जायेंगी।

248. वर्तमान में व्यापारी को प्रथम अपील करने से पहले पैनल्टी, ब्याज एवं अतिरिक्त टैक्स की मिलाकर के 10 प्रतिशत तक राशि जमा करानी

(श्री अशोक गहलोत)

पड़ती है। मैं प्रस्तावित करता हूं कि ऐसे प्रकरणों में व्यापारी को अब केवल विवादित कर राशि का ही 10 प्रतिशत तक जमा कराना होगा।

249. वैट के प्रथम वर्ष 2006-07 में कई तकनीकी कारणों से तथा जानकारी के अभाव में व्यापारियों द्वारा समय पर आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप लगाई गयी पैनल्टी को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

250. उद्योग-व्यापार जगत को सरकारी विभाग, उपक्रम एवं अन्य एजेन्सियों द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का भुगतान देरी से होने के कारण व्यापारी को देय वैट अपने पास से जमा कराना पड़ता है, जिससे उसकी कार्यशील पूंजी ब्लाक हो जाती है। इस समस्या के निराकरण हेतु अब माल खरीदने वाले सरकारी विभाग, उपक्रम आदि वैट सीधे ही राजकोष में जमा करायेंगे।

251. आई.टी. का अधिक से अधिक उपयोग हो, इसके लिए हम सबको निरन्तर प्रयासरत होना आवश्यक है। इस क्रम में सर्वप्रथम वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट के सर्वर की क्षमता को 4 गुना किया जाना प्रस्तावित है।

252. वर्तमान में रिटर्न कार्यालय में देने अथवा ई-रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि एक ही है। ई-रिटर्न फाइल करने वाले व्यापारियों को 15 दिन अधिक दिया जाना प्रस्तावित है।

253. डिजिटल हस्ताक्षर वाले रिटर्न एवं समस्त दस्तावेज ई-फाइल करने वाले व्यापारियों के लिए इनकी हार्ड कापी कार्यालय में जमा कराने की आवश्यकता को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

254. रिटर्न को ई-फाइल करने की अनिवार्यता को अब 10 लाख रुपये की बजाय 5 लाख रुपये या इससे अधिक वार्षिक कर देने वाले व्यापारियों के लिए लागू किया जा रहा है जिससे कि व्यापारियों को रिफण्ड जल्दी मिल सके।

कर की दरों में राहत :

255. मंहगाई को देखते हुए जनहित में सभी प्रकार की दलहनों पर कर दर आगामी वित्तीय वर्ष में भी एक प्रतिशत रखा जाना प्रस्तावित है।

256. राज्य में पेयजल संकट एक स्थायी समस्या है। गर्मियों में टैंकरों द्वारा पानी का परिवहन आम आदमी की जरूरत बन गई है। अतः मैं

(श्री अशोक गहलोत)

प्रस्तावित करता हूं कि पानी सप्लाई करने वाले वाटर टैंकर्स पर वैट 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जायेगा।

257. राज्य में प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैट्री संचालित मोटर वाहनों को कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

258. गैर-पारम्परिक ऊर्जा (nonn-conventional energy) को प्रोत्साहित करने के लिए सौर ऊर्जा उपकरणों को कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

259. सी एफ एल बल्ब के उपयोग से 75 प्रतिशत तक बिजली की बचत होती है। अत: मैं आप सभी माननीय सदस्यों से सी एफ एल बल्ब का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान करता हूं और इस क्रम में सी एफ एल बल्ब पर वैट दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित करता हूं।

260. मार्बल अभी 4 प्रतिशत से कर योग्य है जबकि मार्बल के टुकड़ों से बने उत्पाद चिप्स, करेजी एवं पाउडर पर देय कर 14 प्रतिशत है। अब इसे घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

261. कोटा स्टोन राज्य का एक मुख्य उद्योग है। इस व्यवसाय में वैट व्यवस्था को युक्तिसंगत करने के लिए रफ कोटा स्टोन पर वज़न आधारित टैक्स को समाप्त कर मूल्य आधारित 5 प्रतिशत वैट लगाया जाना प्रस्तावित है।

262. हैण्डीक्राफ्ट में काम आने वाली सफेदा एवं अडूसा लकड़ी की कर दर को 14 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

263. दो हार्स पावर से अधिक पावर की आटा चक्कियों पर वैट 14 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आटा चक्की के व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा।

264. तीन सितारा से कम स्तर एवं अवर्गीकृत होटल एवं रेस्टोरेंट्स के लिए भोजन पर टैक्स दर को 14 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। इस राहत से मध्यम वर्ग के पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा और हम सबको भी मिलेगा, पूरे हाउस को मिलेगा, सबको मिलेगा... (व्यवधान) इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबको मिलेगा। हमारे हाउस में मेरे ख्याल से कोई इक्का-दुक्का भी शायद नहीं होंगे जो इन तीन सितारा से नीचे भी जाते होंगे। पांच सितारा वाले बहुत कम ही हैं। (व्यवधान) मैं काम्प्लीमेंट्स

(श्री अशोक गहलोत)

दे रहा हूं, आप समझ नहीं रहे हो। (व्यवधान) मैं आपको भी काम्प्लीमेंट दे रहा हूं। आपकी सरकार थी तब तो जाती थी पांच सितारा में, अब नहीं जाते हैं। आप भी जाते हो। आप कम जाते हैं। कभी-कभी जाते होंगे शादी-ब्याह में, पर सरकार तो पूरी पांच सितारा में बैठी हुई थी उस वक्त तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अभी 15 दिन पहले उदयपुर में क्या करके आये आप?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अभी उदयपुर में कहा कि पांच सितारा होटल की सुविधा जरूरी है अच्छे चिंतन-मनन के लिए। आपका ही भाषण है उदयपुर का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप भी तो गये, यह 15 दिन पहले की बात है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 265. माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शैक्षणिक संस्थाएं अपने छात्रों को मैस सुविधा 1,500 रुपये प्रति माह से कम में उपलब्ध करा रही हैं, उन्हें कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित करता हूं।

266. मेहंदी के पत्ते तथा इसका पाउडर राज्य में कर मुक्त है। अब मेहंदी के कोन को भी कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित करता हूं।

267. राज्य में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने की दृष्टि से bee-hive, bee-colony, bee-box को कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित करता हूं।

268. पंडितजी, रूद्राक्ष को कर मुक्त करना प्रस्तावित करता हू। (व्यवधान) जब हमारे हाउस में नेता प्रतिपक्ष नहीं हो, उप नेता महोदय बैठे हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आपने तो रुद्राक्ष को पंडितजी के नाम कर दिया पूरा।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): जब नेता प्रतिपक्ष दुर्भाग्य से नहीं हों, कम से कम ये कार्यवाहक के रूप में ही सही...

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय सदस्यों में से कितने लोगों ने रुद्राक्ष पहन रखी है?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): ...बैठे हुए हैं हमारे उप नेता महोदय। तो कम से कम मैं उनका ध्यान रखता, इनका ध्यान रखना पड़ रहा है मुझे। (व्यवधान)

(श्री अशोक गहलोत)

269. टैक्सटाइल सेक्टर में भीलवाड़ा का देश में प्रमुख स्थान है। इस क्षेत्र में कुछ तकनीकी कारणों से वर्ष 1999-2004 के बीच एक ही कपड़े पर दो बार प्रवेश कर की मांग कायम कर दी गई। व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से इस प्रकार दूसरी बार कायम की गई मांग को माफ किया जाना प्रस्तावित है।

270. यह प्रस्तावित है कि वर्क्स कांट्रेक्ट (works contract) के ठेकेदार निर्धारित लेट फीस देकर एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष में कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प दे सकेंगे।

271. वर्क्स कांट्रेक्ट (works contract) में यदि मैटेरियल की कीमत पांच प्रतिशत से कम हो तो ऐसे वर्क्स कांट्रेक्ट के लिए कम्पोजिशन स्कीम में 0.25 प्रतिशत का स्लैब प्रस्तावित है।

272. सिनेमा की रील पर लिये जा रहे वैट को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

273. आम आदमी को सस्ता मनोरंजन सुलभ कराने की दृष्टि से मैं प्रस्तावित करता हूं कि वे सभी सिनेमा हाल, जिनके सभी श्रेणियों के टिकट 50 रुपये अथवा उससे कम के हों, को मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया जायेगा। यह सुविधा केवल "U" सर्टिफिकेट फिल्म के प्रदर्शन पर ही लागू होगी।

274. वर्तमान में जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं विभिन्न छात्रवृत्तियों हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले शपथ-पत्र (Affidavit) पर 10 रुपये स्टाम्प ड्युटी देय है। मैं प्रस्तावित करता हूं कि इस प्रयोजन के शपथ-पत्रों को स्टाम्प-ड्युटी से पूर्णत: मुक्त कर दिया जाये। अब विद्यार्थी एवं आम आदमी साधारण पाई-पेपर पर ये शपथ-पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

275. ऋण लेने पर ऋणी द्वारा टाइटल-डीड बैंक में जमा कराई जाती है अथवा रहन रखी जाती है। कृषि ऋणों पर ऐसे दस्तावेज पहले से ही पंजीयन शुल्क से मुक्त हैं। अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि गैर-कृषि ऋणों के उक्त दस्तावेजों पर वर्तमान में देय पंजीयन शुल्क को एक प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत (अधिकतम 25,000 रुपये) किया जायेगा।

276. फेमिली सेटलमेंट के दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क की दर 2.5

(श्री अशोक गहलोत)

प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। इससे परिवार में आपसी सामन्जस्य को बढ़ावा मिलेगा एवं भविष्य में सम्भावित कानूनी विवाद भी कम होंगे।

277. महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए समस्त प्रकार के महिला स्वयं सहायता समूहों के भीतर, सदस्यों द्वारा ऋण लेने के प्रयोजन से किये गये परस्पर निष्पादित दस्तावेज (inter-se agreement) को स्टाम्प शुल्क से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

278. वर्तमान में कैप्टिव पावर प्लांट के अलावा 125 मेगावाट एवं इससे अधिक क्षमता के पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण के दस्तावेज मुद्रांक शुल्क से मुक्त हैं। निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कैप्टिव पावर प्लांट सहित समस्त पावर प्लांट्स के लिए भूमि अधिग्रहण एवं क्रय दोनों के दस्तावेजों को मुद्रांक शुल्क से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

279. Irrevocable पावर आफ अटार्नी के दस्तावेज का पंजीयन पहले से ही अनिवार्य है। अब revocable पावर आफ अटार्नी को भी अनिवार्यत: पंजीयन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए पंजीयन अधिनियम में नियत प्रक्रिया से संशोधन किया जायेगा। इसके उपरान्त revocable पावर आफ अटार्नी के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी दो प्रतिशत से घटाकर 0.2 प्रतिशत कर दी जायेगी।

280. मकराना का संगमरमर हमारे राज्य व देश के लिए विशेष महत्व रखता है। मकराना संगमरमर के वैज्ञानिक एवं दीर्घकालीन दोहन के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार की जानी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त मकराना मार्बल पर वर्तमान में रायल्टी दर 325 रुपये प्रति टन को घटाकर 300 रुपये प्रति टन किया जाना प्रस्तावित है।

281. संगमरमर खान धारकों को रियायत देने की दृष्टि से मार्बल स्लरी/पाउडर को रायल्टी, जो वर्तमान में 60 रुपये प्रति टन है, से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु कर दर सम्बन्धी प्रस्ताव:

282. अध्यक्ष महोदय, बजट के प्रथम भाग में मैंने राज्य के विकास एवं जन कल्याण के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रस्तावित की हैं। राज्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्प है। इसके लिए विद्युत उत्पादन, सड़क निर्माण, आधारभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं

(श्री अशोक गहलोत)

सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में बड़ी धनराशि का निवेश किया जाना अपेक्षित है। आप सभी जानते हैं कि केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए राज्य को अपना हिस्सा देना होता है जिसके लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है। यह भी सर्वविदित है कि राज्य को अकाल की विभीषिका एवं पेयजल संकट का सामना करने के लिए भी वृहद धनराशि की आवश्यकता होती है। इस अतिरिक्त राजस्व को जुटाने के लिए मैं निम्न प्रस्ताव सदन के समक्ष रख रहा हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदन एवं प्रदेश की आम जनता इनका समर्थन करेंगी।

283. आल इण्डिया परमिट वाले बंद यात्री वाहनों पर आरोपित कर की अधिकतम सीमा, जो वर्तमान में 25,000/- प्रतिमाह है, को बढ़ाकर 35,000/- किया जाना प्रस्तावित है।

284. विशिष्ट श्रेणी के गैर-परिवहन यान, जिन पर आरोपित एक बारीय कर की वर्तमान दर वाहन/चैसिस लागत का 6 से 10 प्रतिशत है, पर कर की अधिकतम सीमा राशि के प्रतिबंध को हटाया जाना प्रस्तावित है।

285. ऐसे दुपहिया वाहन, जिनकी इंजन कैपेसिटी 100 सीसी तक है, जिनका उपयोग प्राय: मध्यमवर्गीय परिवार एवं आम जनता, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों एवं युवा वर्ग द्वारा किया जाता है, पर एकबारीय कर, वाहन लागत का पांच प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 70 प्रतिशत दुपहिया वाहन खरीदने वालों को कर में राहत मिलेगी। 100 सीसी से अधिक इंजन कैपेसिटी के दुपहिया वाहन, जो आम तौर पर सम्पन्न श्रेणी के लोग खरीदते हैं, पर एकबारीय कर 6-7 प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत करना प्रस्तावित है।

286. चार पहिया वाहनों पर आरोपित एकबारीय कर के सरलीकरण के लिए वर्तमान में प्रचलित 6 स्लैब के स्थान पर 4 स्लैब किये जाने प्रस्तावित हैं। जहां आम आदमी को राहत देने के उद्देश्य से 2.5 लाख रुपये तक की लागत के वाहनों पर, यह मारुति-वारुति जो होती है (व्यवधान) 2.5 लाख रुपये की, चार पहिया वाले हैं, चार पहिये के 2.5 लाख रुपये तक की लागत के वाहनों पर एकबारीय कर की दर को वाहन की लागत के 4 प्रतिशत से घटा कर 2.5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। वहीं तीन हायर स्लैब्स 2.5-6.00 लाख पर 5 प्रतिशत, 6-10 लाख पर 8 प्रतिशत एवं 10 लाख रुपये से अधिक पर 10 प्रतिशत एकबारीय कर किया जाना प्रस्तावित है।

(श्री अशोक गहलोत)

287. माननीय सदस्यों को विदित है कि नगरीय निकाय गम्भीर वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उनके पास नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं। नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित मेयर/अध्यक्ष व पार्षदों को, पार्षदगणों को शहरी जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए इस चुनौती का सामना करना होगा। आपको, हमको सबको करना होता है। हालांकि केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों एवं नवगठित अरबन डवलपमेंट फण्ड के जरिये हमने नगर निकायों को काफी धनराशि उपलब्ध कराई है परन्तु फिर भी इस दिशा में अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है।

288. नगरीय निकायों को बुनियादी सुविधाओं के लिए स्थायी तौर पर राजस्व मिलता रहे, इसके लिए मैं प्रस्तावित करता हूं कि प्रति माह 100 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपभोग करने वाले शहरी उपभोक्ताओं पर 10 पैसे प्रति यूनिट उपकर लगाया जायेगा। (व्यवधान) इस उपकर से..(व्यवधान) प्राप्त होने वाले राजस्व को एक विशिष्ट कोष में जमा किया जायेगा, जिसका उपयोग नगरीय निकाय क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण....

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): पांच साल नहीं बढ़ायेंगे बिजली का रेट...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह बिजली का बिल बढ़ा दिया न। आपने तो पांच साल का वादा किया था, वादा। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): सार्वजनिक रोशनी, सफाई.. (व्यवधान) सुन लो आगे। (व्यवधान) इसका उपयोग नगरीय निकायों में ऊर्जा संरक्षण, सार्वजनिक रोशनी, सफाई, अरे भाई, सफाई इस समय सब को भुगतनी पड़ती है, जिसका उपयोग इस उपकर से प्राप्त होने वाले राजस्व को एक विशिष्ट कोष में जमा किया जायेगा, जिसका उपयोग नगरीय निकाय क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण व सार्वजनिक रोशनी, सफाई, सीवरेज, सड़कों की मरम्मत जैसी बुनियादी सुविधाएं देने के लिए किया जायेगा।

289. नगरीय निकायों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उनके द्वारा दूरसंचार मोबाईल टावर्स का अनिवार्यत: पंजीकरण किया जाना एवं पंजीकरण राशि के साथ-साथ वार्षिक यूजर चार्जेज प्रभारित किया जाना प्रस्तावित है।

290. 50 लाख रुपये तक के वार्षिक टर्नओवर के आधार पर

(श्री अशोक गहलोत)

कम्पोजिशन योजना अपनाने वाले व्यापारियों के लिए वर्तमान कर दर 0.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

291. सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा, भई, कम से कम कमेंट करो, मुझे अच्छा लगेगा, अभी तो चार दिन यही काम करेंगे, पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उनके बजट भी देख लेना, बाद में बात करना। सभी राज्यों के, अध्यक्ष महोदय, सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा वैट अन्तर्गत लोअर टैक्स रेट 5 प्रतिशत रखने की अभिशंषा की गई है। अन्य कई राज्यों में भी यह दर 5 प्रतिशत कर दी गई है। अत: हमारे राज्य में भी इस टैक्स रेट को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एक हजार करोड़ का है...

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): यह लागू होगा आपके गुजरात के लिए भी। (व्यवधान)

292. कतिपय वस्तुओं यथा कोलतार, बिटुमैन, लाईमस्टोन, जेनरेटर एवं इंवर्टर्स, आटोमोबाइल बाडी, पी.बी.एक्स., इलैक्ट्रोड्स, ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट्स, मल्टीफंक्शन डिवाइसेज, यू-फोम, कुछ केमिकल्स एवं हाई वोल्टेज केबल्स को वैट अधिनियम की अनुसूची-चार से हटाया जाना प्रस्तावित है।

293. कॉटन सीड आयल केक एवं सब्बल को कर मुक्ति से हटाकर 5 प्रतिशत कर योग्य किया जाना प्रस्तावित है।

294. उपरोक्त कर राहत व अतिरिक्त राजस्व प्रस्तावों से वर्ष 2010-2011 में राज्य को अनुमानत: 550 करोड़ की अतिरिक्त आय होने की सम्भावना है।

295. वर्ष 2009-10 के संशोधित अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:- (व्यवधान)

1. राजस्व प्राप्तियां-	37 हजार 207 करोड़ 13 लाख रुपये
2. राजस्व व्यय-	41 हजार 200 करोड़ रुपये
3. राजस्व घाटा-	3 हजार 992 करोड़ 87 लाख रुपये
4. पूंजी खाते में प्राप्तियां - (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	12 हजार 975 करोड़ 37 लाख रुपये

(श्री अशोक गहलोत)

5. पूंजी खाते में व्यय- 8 हजार 972 करोड़ 1 लाख रुपये

6. पूंजी खाते में आधिक्य- 4 हजार 3 करोड़ 36 लाख रुपये

7. बजटीय आधिक्य- 10 करोड़ 49 लाख रुपये

8. राजकोषीय घाटा- 9 हजार 900 करोड़ 12 लाख रुपये

296. वर्ष 2010-11 के बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

1. राजस्व प्राप्तियां - 42 हजार 463 करोड़ 49 लाख रुपये

2. राजस्व व्यय- 43 हजार 561 करोड़ 72 लाख रुपये

3. राजस्व घाटा- 1 हजार 98 करोड़ 23 लाख रुपये

4. पूंजी खाते में प्राप्तियां- 11 हजार 932 करोड़ 56 लाख रुपये
(लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)

5. पूंजी खाते में व्यय- 10 हजार 786 करोड़ 8 लाख रुपये

6. पूंजी खाते में आधिक्य- 1 हजार 146 करोड़ 48 लाख रुपये

7. बजटीय आधिक्य- 48 करोड़ 25 लाख रुपये

8. राजकोषीय घाटा- 8 हजार 461 करोड़ 10 लाख रुपये

297. आगामी वर्ष का राजस्व घाटा कुल राजस्व प्राप्तियों का 2.59 प्रतिशत व राजकोषीय घाटा जी एस डी पी का 3.50 प्रतिशत रहना संभावित है।

298. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2010-11 का, वार्षिक वित्तीय विवरण, सभा पटल पर रख रहा हूं। साथ ही मैं राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2005 की अपेक्षानुसार मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण एवं प्रकटीकरण विवरण सभा पटल पर रख रहा हूं। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं।

299. अध्यक्ष महोदय, हमारा यह बजट सुशासन की दृष्टि से सेवाओं के स्तर में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए बनाया गया है। समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नि:शक्तजनों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के कल्याण हेतु, जो योजनाएं संचालित की जायें, उनका पूरा लाभ इन वर्गों तक पहुंचेगा, ऐसा मुझे पूर्ण

(श्री अशोक गहलोत)

विश्वास है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यगण, दोनों पक्षों के, हमें इन उद्देश्यों की प्राप्ति में पूरा सहयोग देंगे।

300. अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर महात्मा गांधी का एक संदेश दोहरा रहा हूं:- एक सच्चा सिपाही आगे बढ़ते हुए यह विवाद नहीं करता कि अन्ततोगत्वा सफलता कैसे मिलेगी। लेकिन उसे दृढ़ विश्वास होता है कि यदि वह अपनी छोटी-सी भूमिका को भी विनम्रता से निभा ले, तो वह कैसे भी हो, उस संघर्ष में विजयी होगा। इसी भावना के साथ हम सभी को काम करना चाहिए। हम भविष्य को नहीं जान सकते लेकिन कम से कम वर्तमान में तो अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा सकते हैं।

301. इन्हीं भावनाओं के साथ, मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ यह बजट प्रस्तुत करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-11 का उपस्थापन। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): इस बजट में बेरोजगारों के रोजगार के लिए...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): जब बाहर जाओगे तब पता लगेगा। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-11 का उपस्थापन करता हूं एवं सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एक हजार करोड़ के टैक्स लगा दिये। (व्यवधान)

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान वित्त विधेयक, 2010

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करता हूं।

सूचना

आर.एस. पिच श्री, मंत्री, जम्मू कश्मीर का दीर्घा में आगमन

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज-प्लीज। मुझे एक सूचना निवेदन करनी है कि जम्मू-कश्मीर के कैबिनेट मिनिस्टर मि. आर.एस. पिच सदन की कार्यवाही देखने के लिए पधारे हुए हैं।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 10 मार्च, 2010 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.11 बजे दिनांक 10 मार्च, 2010 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)